

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 25.11.2024 से 01.12.2024

▶ वर्ष-41 ▶ अंक-48 ▶ मूल्य ₹ 10.00

/संक्षिप्त खबर/

प्रधानमंत्री का सम्मान विधम में बढ़ते वर्चस्व का प्रमाण

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, ग्रैंड कमाण्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजरा" से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण ही नहीं, अपितु वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते वर्चस्व का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक और कीर्तिमान, एक और वैश्विक सम्मान से पूरे विश्व में 'माँ भारती का गौरव बढ़ा है।

प्रो. त्रिपाठी बने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलपति

भोपाल, राज्याल एवं कुलाधिपति श्री मंगुभाई पटेल ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलपति के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। प्रो. त्रिपाठी महात्मा विष्णू कृष्ण प्रसाद विश्वविद्यालय गान्धी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलपति के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। प्रो. त्रिपाठी महात्मा विष्णू कृष्ण प्रसाद विश्वविद्यालय गान्धी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलपति के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है। प्रो. त्रिपाठी महात्मा विष्णू कृष्ण प्रसाद विश्वविद्यालय गान्धी विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलपति के पद पर प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी को नियुक्त किया है।

विक्रम उद्योगपुरी को मिला स्वच्छ औद्योगिक पार्क का अवार्ड

दिल्ली, उज्जैन-देवास रोड स्थित 'विक्रम उद्योगपुरी' को सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क घोषित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उद्योग श्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के भारत मंडल में यह पुरस्कार प्रदान किया। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एपीआईसी) के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेश राठौड़ ने यह अवार्ड प्राप्त किया। इस समारोह में कुल 15 औद्योगिक पार्कों को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया था।

मध्यप्रदेश में पहली बार हुई जंगली हाथी की रेडियो कॉलिंग

उमरिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के एक नर जंगली हाथी को 20 नवम्बर को सफलतापूर्वक सैटेलाइट रेडियो कॉलिंग पनाया गया। रेडियो कॉलिंग पहलने के बाद जंगली हाथी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिसर तलाकी कीट घटना के कक्षा क्रमांक 332 में छोड़ा गया। अंतर प्रदान मुख्य वन संरक्षक वन जी एल. कुण्डगुर्ली ने बताया कि मध्यप्रदेश में पहली बार जंगली हाथी की रेडियो कॉलिंग की गई है।

- भीतर के पृष्ठों पर
- पिछला समाह - देश-विदेश की सामाजिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- घर्षों में - चर्चित व्यक्तियों और घटना आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- खेल घर्षा - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- सामयिकी - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

(स्रोत - समाचार एवं संतो बन्धुसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से संपादित)

मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 592.30 करोड़ से अधिक की मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय का किया भूमिपूजन

उज्जैन में सिंहस्थ-2024 के पहले बनेगी प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय

- महाकाल की गिरगनी में होगा अब हर बीमारी का इलाज
- दुनियाभर में जाना जायेगा उज्जैन का मेडिसिटी
- प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उज्जैन में मेडिकल टूरिज्म भी होगा

उज्जैन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के उज्जैन को मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय की सीढ़ी तैयार की है। सिंहस्थ के पहले यह महत्वाकांक्षी प्राइवेट तैयार हो जायेगा। इस नवीन व्यवस्था से महाकाल की गिरगनी में अब हर बीमारी का इलाज होगा। आने वाले समय में उज्जैन की मेडिसिटी दुनियाभर में पहचानी जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क भी विकसित होगा। एक ही परिसर में सारी सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से हाईस्पाइज बिल्डिंग बनाई जायेगी तथा एक-एक इंच भूमि का उपयोग किया जायेगा और चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि के लिए आवासीय व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003-04 तक प्रदेश में कुल पांच मेडिकल



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित भूमिपूजन समारोह को संबोधित किया

कोलेज थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अब प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 17 सकाराई हैं और 13 निजी क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज सहकार के साथ व्यवस्थाएं बनाएँ। आगले वर्ष 12 मेडिकल कॉलेज और तैयार हो रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म की स्थापना होगी

2028 के पहले प्रारंभ होगा। उज्जैन में प्राइवेट सेक्टर के साथ मेडिकल टूरिज्म की स्थापना भी की जाएगी। उज्जैन में प्रदेश ही नहीं, बल्कि विदेशी मरीजों का भी उपचार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आयुधम भारत निरामय योजना शुरू करने के बाद राज्य सरकार ने भी तीन महीने में ही गंभीर मरीजों को एयर लिफ्ट कर बड़े चिकित्सालयों में उपचार करने की सुविधा शुरू की है।

प्रदेश की पहली मेडिसिटी

उज्जैन में निर्मित होने वाली प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज 14.97 एकड़ में 592.3 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इवमेंट 6 हाईस्पाइज टॉवर होगा। टीचिंग हॉस्पिटल का भवन 9 मंजिला होगा, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है। मेडिकल कॉलेज का भवन 8 मंजिला होगा इसमें भी बेसमेंट बनाया जाएगा। नर्सिंग होस्टल, आरक्षीएच ब्लॉक तथा यूवी इंटर्न गर्ल्स होस्टल के भवन 14 मंजिला होंगे। वहीं यूवी इंटर्न बॉयस होस्टल का भवन 11 मंजिला होगा। मेडिसिटी चिकित्सा महाविद्यालय सम्पूर्ण रूप से दश होगा इसमें रिजर्व एंड इवलापमेंट की सभी सुविधाएं होंगी।

लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निर्णायक कदम है यूके-जर्मनी की यात्रा

भोपाल, मध्यप्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी प्रयास पर होंगे। मुख्यमंत्री का यह विदेश दौरा मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उज्जैन, जबलपुर, खालियर, सागर और रीवा में आयोजित रिजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्लेक्स के साथ मुंबई, बैंगलूर, कोलंबूर और कोलकाता में चार रोड-शो की अभूतपूर्व सफलता के बाद, यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच मध्यप्रदेश में निवेश अवसरों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। उद्योग वर्ष 2025 को प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. यादव छह दिवसीय सड़ विदेश यात्रा में यूके के लंदन, बर्लिन तथा जर्मनी के म्यूनिख और स्टार्टार्ग का दौरा कर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे।

विश्व पटल पर प्रदेश की पहचान बनेगी यात्रा
मुख्यमंत्री की यह रणनीतिविदेश विदेश यात्रा मध्यप्रदेश के लिए निवेश आकर्षित कर राज्य की आर्थिक स्थिति

नए उद्योगों और निवेश संवर्धन प्रयासों से सेवा तीन लाख से अधिक को रोजगार

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और निवेश संवर्धन प्रयासों से बड़ी संख्या (सेवा तीन लाख) में लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2024 में प्रदेश के विभिन्न संगठनों में हुई रिजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्लेक्स और देश के अंदरूनी नगरीय में हुए इंटेलेक्टुव सेशन के फलस्वरूप उद्योगों के विकास का वातावरण बना है। प्रदेश में करीब दो लाख 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ रहा है। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग वर्ष होगा। इस वर्ष प्रदेश में संपन्न औद्योगिक विकास गतिविधियों का विशेष महत्व रहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' से गुजरात के गोधरा में वर्ष 2002 में हुई घटना का सच सामने आया है। इस घटना को लाल तरीके से प्रस्तुत किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है।

400 से अधिक प्रवासी भारतीयों होंगे सम्मिलित

मुख्यमंत्री 25 नवम्बर को वेस्टमिस्टर स्थित ब्रिटिश संसद के साथ ही किस क्रॉस और पुनर्विकसित स्थलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री लंदन में "फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश" प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित रात्रि-भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें 400 से अधिक प्रवासी भारतीय सम्मिलित होंगे।

वायु गुणवत्ता सुधार के लिये माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनायें: मुख्य सचिव



भोपाल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकेए) अंतर्गत प्रदेश स्तरीय स्ट्रेटिजिक कमेटी की बैठक में शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिये माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने एनकेए अंतर्गत चिन्हित प्रदेश के नौ नॉन-अटेन्डेंट शहर भोपाल, इंदौर, खालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास एवं सागर के कलेक्टर-कमिश्नर को आगामी बैठक में स्वच्छ वायु के लिये एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। आयुक्त नगरीय निकाय एवं आवास ने एनकेए में चिन्हित प्रदेश के नौ नॉन-अटेन्डेंट शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के शहरों की वायु

गुणवत्ता सुचकांक (ए.क्यू.आई.) की जानकारी प्रतिदिन प्रस्तुत की जा रही है जिसके अनुसार प्रदेश के 07 नॉन-अटेन्डेंट शहरों के अतिरिक्त सिंगरौली, मण्डीराय एवं पन्ना का वायु गुणवत्ता सुचकांक भी खराब से बहुत खराब श्रेणी का आ रहा है। इनके सुधार के लिये गंभीरतापूर्वक माइक्रो लेवल की प्लानिंग करें।

सिंक्रलर एवं ग्रीन टैग की समुचित व्यवस्था

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में कार्यरत एक्सटेंशन प्रोग्राम में सर्वाधिक फायर इंटीसेड वाले गांवों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाये तथा इस बावत विस्तृत कार्ययोजना जिसमें टारगेट एवं असीमिटेड की जानकारी (संख्यात्मक रूप में) आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरत प्रदूषण नियंत्रण के लिये शहरों में निर्माणधीन स्थलों पर पानी छिड़काव के लिये सिंक्रलर एवं ग्रीन टैग नोट इत्यादी की समुचित व्यवस्था की जाये।

अभियान चलाकर करें कार्यवाही

मुख्य सचिव ने कहा कि शहरों के आसपास के क्षेत्रों में परतली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक के लिये माननीय उच्चतम प्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालनायें प्राथमिकता दिए की कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर की जाये। इसके साथ-साथ उनको व्यवहारिक समझाया (कॉन्सलिंग) देने के लिये समय-समय पर कार्यक्रम भी आयोजित करें।

सम्पादकीय

सिकल सेल के रोगियों को शीघ्र उपचार दिलाने के लिये संकल्पित है प्रदेश सरकार

सरकार सिकल सेल एपीमिया रोग को दूर करने के लिये संकल्पित है। इसीलिये सिकल सेल एपीमिया रोग के जड़ से उन्मूलन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर 275(1) के तहत प्रदेश में 2 उच्च स्तरीय देखाभाल केंद्र 'सिकल सेल रोग के लिए सखमता केंद्र' को मंजूरी दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में विशेष विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये शत-प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। यह राशि केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के जरिये राज्य सरकारों को सीधे आवंटित की जाती है। आईसीएमआर के भोपाल स्मार्क अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, भोपाल में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से स्थापित 'राष्ट्रीय सिकल सेल एपीमिया उन्मूलन मिशन' में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है। प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के दूरदर्शी लक्ष्य के साथ स्थापित यह अत्याधुनिक सुविधा, सिकल सेल के रोगियों को आधुनिक निदान, उन्नत उपचार और समग्र पुनर्वास सेवाओं सहित व्यापक देखाभाल प्रदान करती है। विशेषज्ञों की एक टीम के साथ यह केंद्र न केवल रोग के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों, विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के भीतर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सुरक्षित पुनर्वास पर भी ध्यान देता है। इस केंद्र के जरिये सभी सिकल सेल मरीजों के लिए एक स्वस्थ, उच्चवर्ण सुनिश्चित करने की लक्ष्यपूर्ति के मिशन को बल मिलेगा। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसके लिये करीब 2 करोड़ रुपये मंजू कर दिए हैं।

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के ट्रांसप्यूजन मेडिसिन विभाग एवं अत्याधुनिक मॉडल ब्यूड सेंटर को दूरदर्शी लक्ष्य के अन्तर्गत-2047 के तहत उच्च स्तरीय देखाभाल केंद्र (सखमता केंद्र) के रूप में मंजूरी मिली है। इसकी घोषणा प्रधामंत्री श्री मोदी द्वारा की गई है। इस परियोजना के तहत यहां गुणवत्तापूर्ण इलाज किया जायेगा। इस सेंटर में चिकित्सा किए गए रोगियों में आधुनिक यंत्रों से पुनः जी की पुष्टि करना (फाइनेल डायग्नोसिस बनाना), रोग की गंभीरता एवं प्रकार का पता लगाने के अलावा सिकल सेल रोगियों को उच्च स्तरीय एवं आधुनिक उपचार एक ही छत के नीचे प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार सिकल सेल एपीमिया के रोगों को विश्व स्तर, लुकोरिड्यूब्लूड नेट टेस्टेड, रेडिएट रक्त एवं उसके घटक प्रदान करना शामिल है। डे केयर सेंटर से को सुव्यवस्था करना ताकि जिन रोगियों को ब्यूड ट्रांसप्यूजन है, उन्हें सुविधाित एवं सरल तरीके से रक्त और उसके घटक प्रदान करा जा सकें। स्वीचक रक्तदान शिवारों का आयोजन करना जिससे रक्त और इसके घटकों की आपूर्ति बनी रहे। जीवन रक्षक पदार्थ के रूप में बहुत गंभीर मरीजों में एफ़रेस तकनीकों से रेंड सेल एक्सचेंज करना। प्रसव पूर्व मामले में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग (सीवीएस) की मदद से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में रेंड बच्चे में सिकल सेल रोग का पता लगाना, मॉलिंग्वर प्रयोगशाला के स्थापना, नवजात शिशु में सिकल सेल का शीघ्र पता लगाना, सिकल सेल रोग के बारे में जनसाधारण, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाना, सिकल सेल से पीड़ित रोगियों में बोमरेडो ट्रांसप्लान्ट एवं जीन थेरापी की संभावनाओं का पता लगाना एवं इसे हेतु थेरापीयों का सहित सिकल सेल के क्षेत्र में अनुसंधान और खसिणों की चिकित्सा, नवजात बच्चे से इंदौर के समीपस्थ अलीराजपुर, बुरा, झाउआ, चराणो, खंडवा, बुरानपुर, उज्जैन, देवास आदि जिलों के मरीजों को सर्वांगिक भाल मिलेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि आवंटित की है।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर-275(1) के तहत ही केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जनजातियों के आजीविका विकास से जुड़ी विविध परियोजनाओं के लिये सहायता दी जाती है। इसके तहत प्रदेश में 100 जनजातीय ग्रामों में होम-स्टे विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राशि आवंटित की गई है। इन 100 जनजातीय ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम में 5 लाख रुपये की लागत से होम-स्टे निर्माण के लिये जरूरी पानी जनजातियों को प्रायः मिशन को प्राप्त हो गई है। होम-स्टे के लिये शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जा रही है। प्रदेश में 8 वॉरडो स्टेशन के सुदृढीकरण के लिये भी विकास राशि प्रदान की गई है। इससे प्रदेश की सभी जनजातियों की क्षेत्रीय बनी के विकास एवं संवर्द्धन में मदद मिलेगी। नव्या रेडियो स्टेशन जनजातियों की क्षेत्रीय बोली में ही संचालित किये जायेंगे।

सुपर फ्लाइट्स योजना से आसान बनेगा हवाई यात्रा का सफर

आप आप दिल्ली से ओरीसा का जगना चाहते हैं, तो आपको सुपर फ्लाइट्स से कम से कम 15 घंटे का समय लगेगा। ओरीसा के उद्योगपति एलन मस्क ने सुपर फ्लाइट्स की योजना के बारे में दुनिया को जानकारी दी। यूनिटेड टेक की रिपोर्ट के अनुसार मस्क की योजना बहुत तेज गति वाला उड़ान शुरू करने की है, जिससे उड़ान की अवधि को कई गुना कम कर दिया जा सकता है। अपनी इस योजना की चर्चा करते हुए मस्क ने बताया कि वह सबसे पहले न्यूयॉर्क से शंघाई के बीच सुपर फ्लाइट्स शुरू करेंगे। उल्लेखनीय है कि अभी न्यूयॉर्क से शंघाई के बीच सफर करने में लगभग 14 घंटे से कम का समय लगता है। लेकिन सुपर फ्लाइट्स का उपयोग करके मस्क इस समय को 50 मिनट बना सकते हैं। वहीं नई दिल्ली से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक की फ्लाइट में अभी 15 घंटे का समय लगता है। सुपर फ्लाइट्स के बाद यह दूरी सिर्फ एक घंटे में तय की जा सकेगी।

बुध ओशनर की घोषणा के अनुसार उनकी सुपर फेज्डी बनकर तैयार हो गई है और अगले वर्ष के मध्य तक सुपर फ्लाइट्स का निर्माण कार्य आरंभ हो सकता है। इसमें दो असेंबली लाइन हैं, जिसमें पहली के जोरिए एक साल में 33 विमान बन सकेंगे और दूसरे में दो नया उत्पादन हो सकेगा। वहीं ओशनर 1970 में पहले ही सुरसालीक विमान शुरू कर चुकी है, लेकिन 2003 में इसकी आखिरी व्यवसायिक उड़ान भरी गई थी। अभी इसके एक्स 1 बी विमान 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम हैं।

- विकास तिवारी

(लेखक, प्रतिबोधी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर लेखन करते हैं)

मध्यप्रदेश में ढाई लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, कैलेंडर जारी

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने सभी विभागों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नई भर्ती का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अंतर्गत लगभग ढाई लाख युवाओं को शासकीय नौकरी के अवसर मिलेंगे। भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष दिसम्बर से आरंभ हो रही है। इसका प्रभाव उन विभागों पर नहीं पड़ेगा, जिनमें अक्टूबर और नवम्बर में भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है।

प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास का एक मंत्र दिया है- 'ज्ञान का सम्मान'। श्री मोदी जी के इस विकास मंत्र के अंतर्गत पहले क्रम पर गांव-गांव और दूसरे क्रम पर युवा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी विकास संकल्पना में यही प्राथमिकताएं निश्चित की हैं और अपना कार्यक्रम संचालने के साथ ही डॉ. मोहन यादव ने विकास का पूरा 'रोडमैप' तैयार किया। इस संकल्प पर एक विषय 'रोज़गार के अवसर' भी है। संकल्प पर जारी करते समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के समग्र विकास के लिये शिक्षा, संस्कार और रोज़गार को पहली प्राथमिकता में घोषित किया था। अपनी ही घोषणा के अन्वय मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। इसमें युवाओं को रोज़गार देने के लिये तीन स्तरों पर कार्य आरंभ किया। एक स्वरोज़गार के अवसर बढ़ाने का, दूसरा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन ताकि युवाओं को रोज़गार में आकर मिलें और तीसरा शासकीय विभागों में नियुक्ति आरंभ करना। मध्यप्रदेश सरकार ने स्वरोज़गार के लिये तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ऋण प्रक्रिया सरल रखी और निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूट के आयोजन किये। निवेशकों को आकर्षित करने के लिये मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न बैठकें आयोजित कीं। ताकि अधोद्योग विकास से युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सकें। राज्य सरकार के विभिन्न निवेशकों को जो अनुबंध हुए हैं, उनसे भी लगभग ढाई लाख रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है और अब मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ की है। यद्यपि कुछ विभागों में नियुक्तियों की शुरुआत अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो गई है, लेकिन अब सरकार ने शासकीय विभागों में नियुक्ति के लिये पूरे पांच साल का कैलेंडर जारी किया है। यह कैलेंडर जारी करने से पहले कैलेंडरित बैकलू में महिलाओं के लिये शासकीय विभागों में नियुक्ति के लिये आराखण का कोटा दो प्रतिशत बढ़ाया। महिलाओं को आराखण का कोटा पहले तैसीस प्रतिशत था, जो अब बढ़ाकर पैंतीस प्रतिशत किया गया है, ताकि शासकीय नियुक्तियों में महिलाओं का पैंतीस प्रतिशत सुनिश्चित हो सके। इस आदेश के जारी होने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निदेश पर समस्त शासकीय विभागों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों में पांच साल में ढाई लाख नियुक्तियां होंगी।

मध्यप्रदेश के इतिहास में यह पहला उदाहरण है, जब किसी सरकार ने शासकीय विभागों में भर्ती के लिये पांच साल का पूरा कैलेंडर जारी किया है। यह कैलेंडर के अनुसार भर्ती की गई प्रक्रिया यही वर्ष दिसम्बर से आरंभ हो जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निदेश पर पहले 'संकल्प पर

2024' सभी शासकीय विभागों को भेजकर अपनी योजनाएं तैयार करने के निदेश दिये गए थे। सभी विभागों से उनके अंतर्गत रिक्त स्थानों और नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नये स्टफ की आवश्यकता का विवरण भी पूछा गया था। सभी विभागों से जानकारी आने के बाद उनका आवश्यकता की समीक्षा की गई और विभागों की आवश्यकता के अनुसार उनमें नियुक्ति करने के यह कैलेंडर घोषित कर दिया गया है। नियुक्ति कैलेंडर के साथ ही विभागों में जन हितीबी योजनाओं का प्राथमिकता का क्रम भी तैयार किया और उसी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति का निर्णय लेकर यह कैलेंडर तैयार किया गया है। ताकि संकल्प पर के अन्वय युवाओं को रोज़गार मिले और सभी योजनाओं का क्रियान्वयन भी समय-सीमा में पूरा हो सके। सरकार द्वारा यह पांच वर्षीय कैलेंडर जारी करने के पीछे एक मुख्य कारण योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करना है। अक्सर देखा गया है कि नई योजना के क्रियान्वयन में विलंब के कारणों से आता है। एक आवश्यक स्टफ की कमी और दूसरी आवश्यक अनुभूति मिलने की प्रक्रिया में विलंब। राज्य सरकार द्वारा जारी इस कैलेंडर में इन दोनों बिन्दुओं का ध्यान रखा गया है। इस कैलेंडर से प्रशासनिक अनुभूतियों की औपचारिकता के कारण विलंब नहीं होगा और संकल्प पर के अनुसार रिहाई युवाओं को समय पर रोज़गार प्राप्त हो सकेगा।

यह कैलेंडर तैयार करके इसके क्रियान्वयन का परिपक्व सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागध्यक्षों को प्रेषित किया है। जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिक्त पदों को भर्ती किए जाने के समय कैलेंडर में जैजमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए। सभी कैलेंडर की नियुक्तियों के लिये गाइडलाइन तैयार की गई है। इसमें मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग से लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति तक शामिल है। इसके साथ सभी विभागों में प्रतिवर्ष अपनी नियुक्तियों और आवश्यकता का कैलेंडर जारी करने को कहा गया है, ताकि आगामी वर्षों के लक्ष्य पूर्ण में स्टफ की कमी बाधा न बने। संकल्प पर 2024 में 'रोज़गार के अवसर' बिंदु में उल्लेख है कि 'हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे। सभी विभागों को इस संकल्प पूर्ति के लिये योजना बनाकर कार्रवाई करनी है।

इस परिपक्व के साथ सरकारी भर्तियों में पांच प्रतिशत सीमा का बंधन भी हटा दिया गया है। सरकार के पिछले आदेशों के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने की सीमा पांच प्रतिशत थी। अब इस परिपक्व से यह पांच प्रतिशत की सीमा हटा दी गई है। वर्ष 2028-29 तक पांच प्रतिशत की यह सीमा लागू नहीं होगी। परिपक्व के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार के सभी विभागों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति एक अप्रैल 2024 को रिक्त पदों के अनुसार होगी।

इस परिपक्व के अनुसार ऐसे कैलेंडर (संकर्ष) निम्न रिक्त पदों की संख्या एक से दो तक बढ़े है, उनकी पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी यानी 50 प्रतिशत पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और 50 प्रतिशत पद

वित्त वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। ऐसे संवर्ग (कैडर) निम्न रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, वहां सीधी भर्ती के कुल पदों की पूर्ति तीन चरणों में की जाएगी। यदि 33 प्रतिशत से कम पद हों तो इन पदों की भर्ती एक बार में ही पूरी कर ली जायेगी। यदि पद 33 प्रतिशत या इससे अधिक हैं, लेकिन 66 प्रतिशत से कम हैं तो वर्ष 2024-25 में आठ प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। शेष 46 प्रतिशत वर्ष 2025-26 में और वर्ष 2026-27 में 46 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। यदि पद 66 प्रतिशत या अधिक हों तो वर्ष 2024-25 में आठ प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 31 प्रतिशत, वर्ष 2026-27 में 31 प्रतिशत और वर्ष 2027-28 में 30 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती में भर जाएगा। अब चतुर्थ श्रेणी और बाह्य चालकों जैसे पदों पर भर्ती के अतिरिक्त निरकटम प्रभारी अधिकारियों को दिये गए हैं। निदेश में कहा गया है कि प्रीपैरेंट के आधार पर नियुक्त वाहन चालकों को सीधी भर्ती से भर्ती काल आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं, वे भी वाहन वाहक के कार्य के लिए सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अथवा इस के लिये विभाग को तयों के साथ प्रत्येक देकर स्वीकृति लेकर ही भर्ती कर सकेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों की भर्पाई के लिये विच विभाग के द्वारा आउटसोर्स से सेवा लेने संबंधी निदेश हैं। जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती काला अत्यंत जरूरी है वे विच विभाग से मंजूरी लेकर भर्ती कर सकेंगे।

जिन विभाग द्वारा निकाले गये परिपक्व में स्पष्ट किया है कि जिन विभागों ने अपने अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 30 अक्टूबर, 2024 से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पर इस कैलेंडर अथवा परिपक्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों ने अपने अंतर्गत रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर ली है, या पूरी कर ली है, लेकिन अभी नियुक्ति के अनादेश निकालना शेष नहीं है, अथवा आदेश निकालने के बाद चयनित प्रतिभागी द्वारा ज्वान करन शेष है। इस प्रक्रिया अथवा नियुक्तियों पर इस कैलेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये यथावत रहेंगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश पीएससी या अन्य संस्थाओं द्वारा आरंभ चयन प्रक्रिया पर भी इस कैलेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शासकीय विभागों में रिक्त स्थानों की विभिन्न अस्पतालों द्वारा आरंभ चयन प्रक्रिया पर भी इस कैलेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने संकल्प पर के अनुसार तैयार यह कैलेंडर का मध्यप्रदेश को देश में अग्रणी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण आधार बना है। एक ओर ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के हाथ खुले हैं और दूसरी ओर सरकारी की विभिन्न जन हितीबी योजनाओं के समग्रबद्ध क्रियान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

रमेश शर्मा

(लेखक वरिष्ठ प्रकार एवं स्तम्भकार हैं)



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा- 2022 दिनांक 04.08.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापन क्र. - 10660/37/2024/अनु-10

इंदौर, दिनांक :- 13.11.2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा- 2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक - 40/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27.04.2023।

(1)	विज्ञापन क्रमांक-12650/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना।)
(2)	शुद्धि प्र क्रमांक-1/16/2022 से 53/2022 दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन।)
(3)	संशोधित शुद्धि प्र क्रमांक - 3/16/2022 से 53/2022 दिनांक 25.07.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन।)
(4)	शुद्धि प्र क्रमांक- 5/40/2022 दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी।)
(5)	विज्ञापन क्रमांक-3295/2024/प. नि., इंदौर दिनांक 20.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा- 2022 स्थान के संबंध में)।
(6)	शुद्धि प्र क्रमांक- 7/16-53/2022 दिनांक 28.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक।)
(7)	शुद्धि प्र क्रमांक- 8/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि वित्यास), (सहायक प्राध्यापक परीक्षा- 2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक।)
(8)	शुद्धि प्र क्रमांक- 2/16/2022 से 51/2022 दिनांक 15.03.2023 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत छूट के संबंध में)।
(9)	शुद्धि प्र क्रमांक- 10/16-53/2022 दिनांक 21.06.2024 सहायक प्राध्यापक परीक्षा के आयोजन की सूचना संबंधी।)
(10)	शुद्धि प्र क्रमांक- 11/40/2022 दिनांक 10.09.2024 (सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र परीक्षा - 2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य एवं प्रावधिक भाग के पदों की जानकारी)।

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं बालीर के केन्द्रों पर दिनांक 04.08.2024 (रविवार) को दो सत्र प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे एवं द्वितीय सत्र पर समाजशास्त्र दोपहर 01:00 से 04 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	19	9	77	7	3	115
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	6	3	25	2	1	37
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (Exser)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	(PH-OH-2, VH-3, HH-2)					7

04. राय सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आवेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक- एफ 07-46/2021/आ.प्र.एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-40/2022/30.12.2022 में मुख्य एवं प्रावधिक भाग के विज्ञापित पदों के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.- 55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

- सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रावधिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरान्त वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोकें गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
- परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (हैंडरॉवर्स) हेतु दायी नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक- एफ 07-46/2021/आ.प्र.एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा - 2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है। जिसे आयोग द्वारा शुद्धि प्र क्रमांक - 11/40/2022, दिनांक 10.09.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022	7	5	2

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल - 157 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (PHYSICS)-PART A (MAIN)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
1.	250007	33.	250351	65.	250781	97.	251207
2.	250009	34.	250352	66.	250816	98.	251224
3.	250043	35.	250365	67.	250831	99.	251227
4.	250051	36.	250379	68.	250865	100.	251229
5.	250056	37.	250381	69.	250866	101.	251244
6.	250075	38.	250386	70.	250887	102.	251246
7.	250090	39.	250411	71.	250898	103.	251247
8.	250094	40.	250417	72.	250918	104.	251261
9.	250100	41.	250419	73.	250925	105.	251266
10.	250108	42.	250440	74.	250933	106.	251284
11.	250109	43.	250444	75.	250980	107.	251289
12.	250119	44.	250452	76.	250988	108.	251292
13.	250129	45.	250457	77.	251017	109.	251299
14.	250130	46.	250481	78.	251038	110.	251302
15.	250139	47.	250482	79.	251044	111.	251313
16.	250144	48.	250517	80.	251079	112.	251327
17.	250153	49.	250524	81.	251082	113.	251328
18.	250195	50.	250540	82.	251089	114.	251336
19.	250210	51.	250564	93.	251104	115.	251353
20.	250216	52.	250566	84.	251119	116.	251357
21.	250224	53.	250577	85.	251121	117.	251360
22.	250241	54.	250595	86.	251130	118.	251364
23.	250258	55.	250601	87.	251132	119.	251366
24.	250260	56.	250625	88.	251138	120.	251368
25.	250262	57.	250647	89.	251149	121.	251370
26.	250271	58.	250659	90.	251159	122.	251371
27.	250285	59.	250660	91.	251160	123.	251382
28.	250290	60.	250665	92.	251161	124.	251392
29.	250312	61.	250676	93.	251176	125.	251395
30.	250318	62.	250726	94.	251186	126.	251439
31.	250330	63.	250731	95.	251194	127.	251451
32.	250350	64.	250749	96.	251195	128.	251464

प्रावधिक भाग-ब के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल-17 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (PHYSICS)-PART B (PROVISIONAL)

ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
1.	250085	5.	250178	9.	250531	13.	251390
2.	250089	6.	250257	10.	250748	14.	251442
3.	250133	7.	250423	11.	250877	15.	251465
4.	250161	8.	250428	12.	251005	16.	251548

साक्षात्कार के लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

परिशिष्ट पत्र-01

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक :- 40/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022
अनुक्रमांक-.....	अभ्यर्थी का नाम :-.....

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	उपस्थिति पत्रक -1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक -1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियाँ। (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	अनुमानण फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	हाई स्कूल की अंस्कूपी (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंस्कूपी (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंस्कूपियाँ एवं उपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक से तक

11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीवन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
13.	मूल निवासी/स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकांश द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक सेतक
16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष - (1) विज्ञापन क्रमांक-40/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.03.2023 से दिनांक 27.04.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 या 2023-2024 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 18.12.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक - 08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांक सेतक
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहपत्रांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शाश्वत प्रतीति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
18.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक सेतक
20.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज जो प्रति एवं प्रमाण पत्र का विवरण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
21.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
22.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक सेतक
23.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक सेतक
24.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्णतः कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक सेतक

25.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक सेतक
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :-			
05.	साक्षात्कार हेतु अंश अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 04.12.2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरंत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।		
06.	आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने साक्षात्कार हेतु अंश घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :- आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 04.12.2024 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की गदर राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।		
01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 05.12.2024 से 11.12.2024 तक	
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	दिनांक 12.12.2024 से 18.12.2024 तक	
उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।			
महत्वपूर्ण टीप :-			
1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।			
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्राथमिक दोनों ही भागों में अनाक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।			
3. सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।			
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।			
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदारी निरस्त की जा सकेगी।			
6. साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुरुग त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।			
7. उपरोक्तानुसार जारी प्राथमिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक TRANSFER PETITION (C) No. 1120 OF 2023 Dated 02/09/2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक- 5596/2024 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं व माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक - एस.एल.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।			
8. उपरोक्तानुसार जारी प्राथमिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक TRANSFER PETITION (C) No. 1120 OF 2023 Dated 02/09/2024, एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक- 5596/2024 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं व माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक- एस.एल.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।			
9. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारण का अधिकार सुरक्षित रहेगा।			
10. आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा - 2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् प्रश्न पत्र के दोनों खण्ड "अ" एवं "ब" के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत हैं।			
11. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 04.12.2024 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :- प्रति, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी एरिया, इंदौर			
अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) परीक्षा- 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।			
जी-19053/50264/2024 उप परीक्षा निबंधक			



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 10764/32/2023/चयन

इन्दौर, दिनांक : 14.11.2024

पदनाम - व्याख्याता, पंचकर्म चयन-सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 12/2023 दिनांक 21.06.2023 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म.प्र. शासन, आयुष विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद - व्याख्याता, पंचकर्म के कुल- 05 पद (अनारक्षित-01, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-02, अ.पि.वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद (अनारक्षित-निरंक, अ.जा.-निरंक, अ.ज.जा.-01, अ.पि.वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को आयोजित किए गए।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चूंकि उक्त विज्ञापित पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित पद की संख्या 01 होने के कारण इस पद हेतु 87 एवं 13 प्रतिशत पदों के विभाजन की आवश्यकता नहीं है। अतएवं चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु विज्ञापित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या 01 होने के कारण प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत हेतु रिक्तियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अतएव साक्षात्कार में प्रार्थकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

व्याख्याता, पंचकर्म (म.प्र. शासन, आयुष विभाग) पद विवरण तालिका (मुख्य भाग-87 प्रतिशत)

अनारक्षित अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व. ई.डब्ल्यू.एस. योग

कुल पदों की संख्या	1	1	2	1	0	5
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	0	0	1	0	0	0

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1.	14019	SHALU JAIN	F	UNR	UNR
2.	14040	PUSHPENDRA SINGH SODIYA	M	OBC	OBC
3.	14008	ANITA ALAWA	F	STF	ST
4.	14027	PRADEEP KUMAR MADHUR	M	SC	SC
5.	14045	RAVINDRA BHATI	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	14004	SONALI ASATI	F	UNR
2	14020	AMIT KUMAR AWADHIYA	M	OBC
3	14043	SWATI PARMAR	F	SC
4	14071	ROSHNI DHURVE	F	ST
5	14025	NARESH VAGUL	M	ST

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबन्धित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्यूटर टुटि/लिपिकीय टुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी सचिव

जी-19190/50273/2024

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, झाबुआ

Ph.No. - (07392) 244306, Email - epehdjba@nic.in

झाबुआ, दिनांक : 11.11.2024

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 12/डिप्लोमा/सेट/24-25
निम्नलिखित कार्य की निविदाएं सूचना ई-टेंडरिंग पटारि से नवीन केन्द्रीयकृत बंजीवन प्रणाली में पंजीकृत निविदाकारों से पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर आमंत्रित हैं।

ई-टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	टेंके की अनु. लागत लख में	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2024_380385_L PHED,	Hiring of 1 No. Four Wheeler Bolero/Xylo/ TUV300 Office of the Assistant Engineer	2.73	5460	2000	12 माह
380385_L PHED,	Sub Division Petlawad Distt.-Jhabua (Vth Call)				

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि - 25.11.2024 17.30 बजे तक

ऑनलाइन निविदा दर हस्तान्ते की अंतिम तिथि - 25.11.2024 17.30 बजे तक

ऑनलाइन निविदा खोलने की तिथि - 27.11.2024 11.00 बजे तक

शर्त :- 1. यह केवल सक्षिप्त निविदा सूचना है एवं विस्तृत निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें बंधनकारक होंगी।

2. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन पर आवश्यक राशि का भुगतान इंस्ट्रुमेंट बैंकिंग एकाउंट के द्वारा क्रय किये जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री

जी-19132/50266/2024

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, झाबुआ



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

क्रमांक 10874/47/2023/चयन

इन्दौर, दिनांक : 18.11.2024

पदनाम - व्याख्याता, कायचिकित्सा चयन-सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

- आयोग के विज्ञापन क्रमांक 17/2023 दिनांक 27.06.2023 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म.प्र. शासन, आयुष विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद - व्याख्याता, कायचिकित्सा के कुल-11 पद (अनारक्षित 02, अ.जा.-03, अ.ज.जा. 04, अ.पि.वर्ग-02, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद (अनारक्षित-01, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक) (कुल विज्ञापित पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए-01 पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 05 नवम्बर, 2024 को आयोजित किए गए।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चूंकि उक्त विज्ञापित पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित पद की संख्या 02 होने के कारण इस पद हेतु 87 एवं 13 प्रतिशत पदों के विभाजन की आवश्यकता नहीं है। अतएवं चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु विज्ञापित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या 02 होने के कारण प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत हेतु रिक्तियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. अतएव साक्षात्कार में प्रार्थकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

व्याख्याता, कायचिकित्सा (म.प्र. शासन, आयुष विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग-87 प्रतिशत)

अनारक्षित अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व. ई.डब्ल्यू.एस. योग

कुल पदों की संख्या	2	3	4	2	0	11
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	1	1	1	1	0	0
कुल पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद						1

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1.	15412	MURAREE GIRARE	M	OBC	OBC
2.	15434	SHRUTI SHARMA	F	UNRF	UNR
3.	15403	RUHSAR SHEIKH	F	OBCF	OBC
4.	15418	ASHA MALVIYA	F	SCF	SC
5.	15425	PREETI CHOUDHARY	F	SC	SC
6.	15419	RAJESH KUMAR PRAJAPATI	M	SC	SC
7.	15433	ARTI GOND	F	STF	ST
8.	15428	ASTHA VERMA	F	ST	ST
9.	15430	MAHENDRA SINGH MAKODE	M	ST	ST
10.	15429	ASHVINA KUMAR PARMAR	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1.	15408	MANISH CHOUDHARI	M	OBC
2.	15440	MOHINI GUPTA	F	UNR
3.	15414	SWATI SEWAIWAR	F	OBC
4.	15426	ANKITA KULHARE	F	SC
5.	15415	VIVEK SALVI	M	SC
6.	15432	NITIN GEORGE	M	ST
7.	15431	NISHA CHOUHAN	F	ST
8.	15417	UMESH PATIL	M	SC

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबन्धित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्यूटर टुटि/लिपिकीय टुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. विज्ञापित कुल 11 पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 01 पद (दृष्टिबाधित-01 पद) विज्ञापित है परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण यह 01 पद रिक्त रहा है। शासन निदेश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों से उतने ही पद रिक्त रखा जाने का प्रावधान है। अतः कुल 01 पद दिव्यांगजन के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखा गया है।

प्रभारी सचिव

जी-19194/50272/2024

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 दिनांक 04.08.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र. - 10757/38/2024/अनु. 10

इंदौर, दिनांक 14.11.2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक- 26/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 19.03.2023।

(1)	विज्ञप्ति क्रमांक-12636/2022/अनु.-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविट्ट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-1/16/2022 से 53/2022 दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)
(3)	संशोधित शुद्धि पत्र क्रमांक - 3/16/2022 से 53/2022 दिनांक 25.07.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)
(4)	शुद्धि पत्र क्रमांक-5/26/2022 दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक भूगोल हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
(5)	विज्ञप्ति क्रमांक-3295/2024/प.नि., इंदौर दिनांक 20.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 स्थगन के संबंध में)
(6)	शुद्धि पत्र क्रमांक-7/16-53/2022 दिनांक 28.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
(7)	शुद्धि पत्र क्रमांक-8/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास), (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
(8)	शुद्धि पत्र क्रमांक-2/16/2022 से 51/2022 दिनांक 15.03.2023 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत छूट के संदर्भ में)
(9)	शुद्धि पत्र क्रमांक-10/16-53/2022 दिनांक 21.06.2024 सहायक प्राध्यापक परीक्षा के आयोजन की सूचना संबंधी)
(10)	शुद्धि पत्र क्रमांक-11/26/2022 दिनांक 10.09.2024 (सहायक प्राध्यापक भूगोल परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य एवं प्राथमिक भाग के पदों की जानकारी)

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के केन्द्रों पर दिनांक 04.08.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम पत्र पर सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे एवं द्वितीय पत्र पर भूगोल दोपहर 01:00 से 04 बजे तक आयोजित की गई थी।

03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	14	1	-	6	2	23
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	5	-	-	2	1	8
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (Ex-Ser)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	-	-	-	(PH-NA)	-	-

04. राज्य सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतर्गत आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022 के प्रकाश में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-26/2022/30.12.2022 में मुख्य एवं प्राथमिक भाग के विज्ञापित पदों के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र. 55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

- परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-
- सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार परीक्षित परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्राथमिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्राथमिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरोक्त वरत अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोकें गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
- परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। प्रथम प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है जिसे आयोग द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक-11/26/2022 दिनांक 10.09.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। प्राथमिक भाग के पदों की संख्या निम्न है। उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से अर्ह कुल-88 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकाव सूची निम्नानुसार है :-

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (GEOGRAPHY)- PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES**

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
1.	230004	19.	230408	37.	231184	55.	231849	73.	232698
2.	230015	20.	230449	38.	231234	56.	231868	74.	232709
3.	230017	21.	230534	39.	231246	57.	231929	75.	232817
4.	230081	22.	230544	40.	231252	58.	231954	76.	232879
5.	230089	23.	230560	41.	231312	59.	232011	77.	232821
6.	230102	24.	230575	42.	231340	60.	232048	78.	232867
7.	230158	25.	230669	43.	231346	61.	232093	79.	232906
8.	230163	26.	230687	44.	231352	62.	232195	80.	233178
9.	230256	27.	230738	45.	231383	63.	232201	81.	233204
10.	230271	28.	230739	46.	231401	64.	232251	82.	233434
11.	230291	29.	230774	47.	231464	65.	232326	83.	233440
12.	230305	30.	230955	48.	231473	66.	232331	84.	233490
13.	230341	31.	230956	49.	231505	67.	232369	85.	233499
14.	230350	32.	230961	50.	231568	68.	232392	86.	233502
15.	230359	33.	230973	51.	231631	69.	232394	87.	233540
16.	230361	34.	231051	52.	231645	70.	232447	88.	233599
17.	230372	35.	231101	53.	231717	71.	232527		
18.	230391	36.	231160	54.	231839	72.	232608		

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	पद/परीक्षा का नाम :-	
		सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022	अनुक्रमांक :-
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां (केवल मूल प्रति पर नम्बरींग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरींग नहीं करना है।)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
5.	अनुप्रमाण फॉर्म-3 मूल प्रति	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
7.	हाई स्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीजन प्रमाण-पत्र (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
13.	मूल निवासी/स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)	पुष्ट क्रमांकसे.....तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पुष्ट क्रमांकसे.....तक



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष - 07692-297254

E-Mail : dean.vds@mp.gov.in, Website : www.gmcvidisha.org

क्रमांक/5022/स्था./राज/विज्ञान-16 (शैक्षणिक)/24

विदिशा, दिनांक : 14.11.2024

प्रेस विज्ञापन सूचना

- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के द्वारा क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवा आयोग चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 416/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 22.04.2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची एवं पत्र.एस.सी. के नवीन मायदण्ड/अवश्यकतानुसार, प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक : 5021/स्था./राज/विज्ञान-16 (शैक्षणिक)/24 विदिशा, दिनांक 14.11.2024 के तहत आवेदन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 07.12.2024 सयं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं।
- ASSOCIATE PROFESSOR/ASSISTANT PROFESSOR (Direct Recruitment).
- उपरोक्त विभाग की विस्तृत पदवार जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाइट www.gmcvidisha.org पर उपलब्ध है।
- आवेदकों द्वारा अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की आसन्न शाखा में जमा कराने जायेंगे।
- आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पत्र का नाम और अनाश्रित (UR)/आरक्षित (SC/ST/OBC) श्रेणी का उल्लेख स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जी-19074/50265/2024

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 06.12.2024 से 12.12.2024 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 13.12.2024 से 19.12.2024 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनाश्रित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार अनाश्रित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
- सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम मनीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चर्ची गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुरण्ड नूटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रबी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम मनीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक TRANSFER PETITION (C) No. 1120 OF 2023 Dated 02.09.2024, एवं मनीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक-5596/2024, 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं व मनीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-एस.एल.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम मनीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् प्रश्न पत्र के दोनों खण्ड "अ" एवं "ब" के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक प्रयोज्य हैं।
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 05.12.2024 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-
प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
नेसीडेंसी एरिया,
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (भूगोल) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-19170/50267/2024

उप परीक्षा निर्देशक

16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वितीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-26/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.02.2023 से दिनांक 19.03.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वितीय वर्ष 2022-2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 18.12.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वितीय वर्ष 2023-2024 का ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वितीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शासन पत्र की प्रतियां (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
18.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवागत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रतियां अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रतियां संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवागत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रतियां	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
20.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रतियां एवं सेवावधि का विवरण पत्रक की प्रतियां (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
21.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजक द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/द्वयमिग लॉयसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
22.	दिव्यंग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यंगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां (ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
23.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
24.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक
25.	अथवा कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांकसे.....तक

कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :-

- साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार बांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रश्न-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 05.12.2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरंत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलंब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है:-
आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 05.12.2024 के पश्चात् कार्यालयीन विलंब/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नाद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कराने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 दिनांक 04.08.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापि क्र. - 10755/33/2024/अनु. 10

इंदौर, दिनांक : 14.11.2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01. विज्ञापन क्रमांक-41/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 11.05.2023।

(1)	विज्ञापि क्रमांक-12668/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविल्ट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)
(2)	शुद्धि प्र क्रमांक-1/16/2022 से 53/2022 दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)
(3)	संशोधित शुद्धि प्र क्रमांक-3/16/2022 से 53/2022 दिनांक 25.07.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)
(4)	शुद्धि प्र क्रमांक-5/41/2022 दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पत्र- प्रारंभ करने संबंधी)
(5)	विज्ञापि क्रमांक-3295/2024/प.नि., इंदौर दिनांक 20.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 स्थगन के संबंध में)
(6)	शुद्धि प्र क्रमांक-7/16-53/2022 दिनांक 28.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पत्र- प्रारंभ करने विषयक)
(7)	शुद्धि प्र क्रमांक-8/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास), (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पत्र- प्रारंभ करने विषयक)
(8)	शुद्धि प्र क्रमांक-2/16/2022 से 51/2022 दिनांक 15.03.2023 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत छूट के संदर्भ में)
(9)	शुद्धि प्र क्रमांक-10/16-53/2022 दिनांक 21.06.2024 सहायक प्राध्यापक परीक्षा के आयोजन की सूचना संबंधी)
(10)	शुद्धि प्र क्रमांक-11/41/2022 दिनांक 10.09.2024 (सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य एवं प्राथमिक भाग के पदों की जानकारी)

02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के केन्द्रों पर दिनांक 04.08.2024 (रविवार) को दो सत्र प्रथम सत्र पर सामान्य अध्ययन सत्र: 10:00 से 11:00 बजे एवं द्वितीय सत्र पर राजनीतिशास्त्र दोपहर 01:00 से 04 बजे तक आयोजित की गई थी

03. उपरोक्तनुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	43	13	37	19	6	118
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	14	4	12	6	2	38
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)				(PH-OH-1, HH-1)		2

04. राज सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लखित याचिकाओं के अंतर्गत आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "प्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एफ, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-41/2022/30.12.2022 में मुख्य एवं प्राथमिक भाग के विज्ञापित पदों के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र. 55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

- सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्राथमिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्राथमिक रूप से ही समाहित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरान्त वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रिके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
- परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के "प्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एफ, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्राथमिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्रदाय हुआ है जिसे आयोग द्वारा शुद्धि प्र क्रमांक-11/41/2022, दिनांक 10.09.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पद)	प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022	19	14	5

उपरोक्तनुसार सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना + समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से अर्ह कुल-427 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (POLITICAL SCIENCE)-PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES**

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
1.	260008	76.	260320	151.	260700	226.	261505
2.	260010	77.	260324	152.	260707	227.	261519
3.	260011	78.	260327	153.	260708	228.	261555
4.	260020	79.	260332	154.	260709	229.	261576
5.	260029	80.	260333	155.	260722	230.	261578
6.	260031	81.	260339	156.	260733	231.	261604
7.	260033	82.	260344	157.	260734	232.	261644
8.	260034	83.	260349	158.	260736	233.	261654
9.	260039	84.	260352	159.	260739	234.	261656
10.	260041	85.	260355	160.	260742	235.	261690
11.	260042	86.	260357	161.	260744	236.	261712
12.	260044	87.	260359	162.	260746	237.	261713
13.	260045	88.	260367	163.	260758	238.	261723
14.	260053	89.	260371	164.	260766	239.	261730
15.	260054	90.	260372	165.	260782	240.	261737
16.	260061	91.	260379	166.	260817	241.	261743
17.	260062	92.	260381	167.	260820	242.	261761
18.	260064	93.	260384	168.	260830	243.	261770
19.	260068	94.	260387	169.	260835	244.	261771
20.	260069	95.	260390	170.	260841	245.	261778
21.	260075	96.	260392	171.	260842	246.	261779
22.	260078	97.	260402	172.	260855	247.	261786
23.	260083	98.	260408	173.	260872	248.	261800
24.	260087	99.	260414	174.	260875	249.	261816
25.	260092	100.	260416	175.	260876	250.	261880
26.	260094	101.	260422	176.	260881	251.	261889
27.	260095	102.	260425	177.	260882	252.	261892
28.	260097	103.	260442	178.	260897	253.	261917
29.	260099	104.	260443	179.	260942	254.	261934
30.	260100	105.	260445	180.	260948	255.	261944
31.	260105	106.	260455	181.	260953	256.	261972
32.	260106	107.	260463	182.	260954	257.	261978
33.	260108	108.	260466	183.	260962	258.	261987
34.	260113	109.	260469	184.	260965	259.	262005
35.	260115	110.	260496	185.	260970	260.	262027
36.	260116	111.	260499	186.	260990	261.	262036
37.	260117	112.	260503	187.	260991	262.	262085
38.	260122	113.	260504	188.	260997	263.	262095
39.	260126	114.	260505	189.	261021	264.	262110
40.	260128	115.	260507	190.	261024	265.	262166
41.	260136	116.	260509	191.	261025	266.	262178
42.	260143	117.	260511	192.	261028	267.	262183
43.	260145	118.	260525	193.	261032	268.	262273
44.	260147	119.	260529	194.	261051	269.	262283
45.	260153	120.	260536	195.	261053	270.	262306
46.	260154	121.	260545	196.	261060	271.	262310
47.	260159	122.	260560	197.	261066	272.	262312
48.	260169	123.	260562	198.	261083	273.	262335
49.	260174	124.	260563	199.	261096	274.	262345
50.	260175	125.	260569	200.	261098	275.	262375
51.	260176	126.	260573	201.	261148	276.	262377
52.	260187	127.	260579	202.	261157	277.	262378
53.	260190	128.	260581	203.	261162	278.	262388
54.	260191	129.	260595	204.	261168	279.	262433
55.	260199	130.	260602	205.	261172	280.	262477
56.	260200	131.	260605	206.	261180	281.	262479
57.	260207	132.	260606	207.	261193	282.	262480
58.	260210	133.	260607	208.	261244	283.	262481
59.	260211	134.	260609	209.	261268	284.	262491
60.	260238	135.	260614	210.	261272	285.	262505
61.	260244	136.	260621	211.	261283	286.	262561
62.	260251	137.	260627	212.	261343	287.	262563
63.	260255	138.	260629	213.	261363	288.	262624
64.	260261	139.	260636	214.	261366	289.	262632
65.	260265	140.	260645	215.	261380	290.	262647
66.	260280	141.	260656	216.	261397	291.	262653
67.	260293	142.	260657	217.	261398	292.	262675
68.	260297	143.	260675	218.	261408	293.	262737
69.	260301	144.	260676	219.	261448	294.	262755
70.	260302	145.	260678	220.	261456	295.	262762
71.	260308	146.	260679	221.	261458	296.	262788
72.	260311	147.	260680	222.	261463	297.	262819
73.	260313	148.	260682	223.	261469	298.	262834
74.	260314	149.	260684	224.	261484	299.	262840
75.	260319	150.	260694	225.	261491	300.	262845
						301.	262861
						302.	262862
						303.	262888
						304.	262924
						305.	262953
						306.	262965
						307.	262970
						308.	262973
						309.	262984
						310.	262994
						311.	262995
						312.	263032
						313.	263034
						314.	263038
						315.	263050
						316.	263053
						317.	263061
						318.	263071
						319.	263076
						320.	263079
						321.	263081
						322.	263087
						323.	263111
						324.	263128
						325.	263132
						326.	263144
						327.	263156
						328.	263157
						329.	263184
						330.	263209
						331.	263210
						332.	263230
						333.	263313
						334.	263321
						335.	263355
						336.	263382
						337.	263383
						338.	263410
						339.	263412
						340.	263414
						341.	263442
						342.	263466
						343.	263489
						344.	263507
						345.	263531
						346.	263552

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
376.	264076	387.	264299	398.	264558	409.	264749	420.	265184
377.	264082	388.	264300	399.	264567	410.	264767	421.	265220
378.	264111	389.	264325	400.	264575	411.	264782	422.	265239
379.	264127	390.	264363	401.	264584	412.	264801	423.	265401
380.	264130	391.	264372	402.	264599	413.	264872	424.	265407
381.	264136	392.	264417	403.	264653	414.	264879	425.	265409
382.	264150	393.	264419	404.	264691	415.	264897	426.	265418
383.	264151	394.	264425	405.	264697	416.	264949	427.	265482
384.	264157	395.	264475	406.	264719	417.	264990		
385.	264240	396.	264509	407.	264730	418.	265047		
386.	264284	397.	264516	408.	264737	419.	265092		

प्राथमिक भाग-ब के साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना-समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल-43 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकांवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (POLITICAL SCIENCE)-PART B (PROVISIONAL)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
1.	260038	10.	260939	19.	262168	28.	263568	37.	264747
2.	260129	11.	261029	20.	262316	29.	263903	38.	264748
3.	260132	12.	261127	21.	262812	30.	264004	39.	264883
4.	260183	13.	261155	22.	263140	31.	264067	40.	264944
5.	260467	14.	261159	23.	263143	32.	264340	41.	265100
6.	260502	15.	261190	24.	263186	33.	264367	42.	265126
7.	260547	16.	261191	25.	263192	34.	264379	43.	265464
8.	260628	17.	261544	26.	263506	35.	264517		
9.	260788	18.	261899	27.	263518	36.	264699		

साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 41/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम अभ्यर्थी का नाम :- सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022
अनुक्रमांक -	अभ्यर्थी का नाम :-

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
7.	हाई स्कूल की अंकसूची (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित राष्‍ट्र में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का राजभार कार्यलय का जोषित पंजीवन प्रमाण पत्र (आयोग कार्यलय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
13.	मूल निवासी/स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र की प्रती (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यलय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
14.	आश्रित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित राष्‍ट्र में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।) (आयोग कार्यलय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक

15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को झीमीकरण श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-41/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.03.2023 से दिनांक 27.04.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 18.12.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 का ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 का ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाह/पतित उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रती। (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
18.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रती। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
20.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि का विवरण पत्रक की प्रती (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
21.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रती/ड्राइविंग लाइसेंस) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
22.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
23.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
24.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) का आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की प्रती पर आयोग कार्यलय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत पत्रक सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
25.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार बांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणीत/स्वप्रमाणीत छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 05.12.2024 तक आयोग कार्यलय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यलय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पर ख़वर मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यलय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में यई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यलय द्वारा सूच्य जार्य करने के उपरांत सील पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सतिमलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यलय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यलय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-
आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 05.12.2024 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/मध्यम प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की गवद राशि एम.पी.टी.सी. के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)	दिनांक 06.12.2024 से 12.12.2024 तक
निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	दिनांक 13.12.2024 से 19.12.2024 तक

सरकार सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव स्वस्थ नागरिकों से ही सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विचार को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर नागरिक को सुलभ और उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहरथ-2028 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूर्ण किया जायेगा। इससे उज्जैन और आसपास के जिलों के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 17 हो चुके हैं। प्रदेश में एम.बी.बी.एस. सीटों भी 720 से बढ़कर 2,575 हो गई हैं। रथोपुर, सिंगरोली, मंडला और राजनाथपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ छतरपुर, दमोह और बुधनी में स्वीतीय अनुदान से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही

12 अन्य जिलों में सार्वजनिक जनभागीदारी नीति के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है।

उज्जैन मेडिकल कॉलेज 14.97 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा। निर्माण क्षेत्र 1 लाख 42 हजार 34 वर्गमीटर प्रावधानित है। इसकी कुल लागत 592.3 करोड़ रुपये है। इसमें फायर सेफ्टी के लिए आधुनिक तकनीकों, ऊर्जा दक्षता के लिए एलईडी लाइटिंग, सौर ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल एचवीएससी सिस्टम का उपयोग किया गया है।

उज्जैन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों की प्रवेश क्षमता 100 प्रावधानित है। मेडिकल कॉलेज में 4 अत्याधुनिक लेक्चर थियेटर (प्रत्येक की क्षमता 180) और 2 परीक्षा हॉल (प्रत्येक की क्षमता 250) रहेगी। सेंट्रल लाइब्रेरी, शिक्षण और फेकल्टी क्षेत्र, प्रयोगशाला और कोशल प्रशिक्षण केंद्र के साथ प्रशासनिक भवन, सामान्य कक्ष और मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। 380 नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा का प्रावधान है। इसमें स्टिल्ट पार्किंग, सामान्य कक्ष, मनोरंजन क्षेत्र, डायनिंग हॉल और किचन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अन्तर्गत सभी जिलों में बनेंगे खेल स्टेडियम



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास में आयोजित भूमिपूजन समारोह को वरुअली संबोधित किया

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के भूमिपूजन कार्यक्रम को नई दिल्ली से वरुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना का निरंतर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में जिस प्रकार कार्य जारी है, उससे प्रदेश के खिलाड़ी विक्रम अर्बोर्ड प्राप्त करने के साथ-साथ एशियाड और ओलंपिक में अर्बोर्ड प्राप्त करने की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। देवास में कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम और श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम से कई प्रतिभाजन खिलाड़ी प्रदेश एवं देश को मिलेंगे। श्रीमंत तुकोजीराव पवार की जयंती पर देवास को मिल रही सिंथेटिक एथलेटिक

- हमारे खिलाड़ी एशियाड और ओलंपिक में भी पदक जीतेंगे
- देवास, उज्जैन, धार क्षेत्र को वृहद महानगर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

देश क्षेत्र की दिशा में विशिष्ट पहचान होगी। प्रदेश में 114 खेल अधोसंरचना निर्मित, 30 निर्माणाधीन उपलब्ध है। मध्यप्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 114 खेल अधोसंरचना (स्टेडियम, खेल परिसर, इंडोर हॉल) निर्मित किये गए हैं, 30 खेल अधोसंरचना निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में कुल 8 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्मित किये गए हैं। देवास में 9वां सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा 3 और एथलेटिक ट्रैक - इंदौर, रतलाम और छतरपुर में भी स्वीकृत किये गए हैं। प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 12 सिंथेटिक हॉकी टर्फ की स्थापना की गई है तथा 6 सिंथेटिक हॉकी टर्फ निर्माणाधीन हैं।

ट्रैक की सौगात से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। देवास में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से किया जा रहा है कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवास, उज्जैन धार और इंदौर को जोड़ते हुए क्षेत्र को वृहद महानगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिकरण की दिशा में राज्य सरकार तेज गति से कार्य कर रही है। बदलते दौर में

पीड़ित मानवता की सेवा का सहारा बना रामकृष्ण सेवा संस्थान

रीवा, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रामकृष्ण सेवा संस्थान रीवा के वार्षिक समारोह को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा तथा दीन दुखियों का सहाय बनना है रीवा का रामकृष्ण सेवा संस्थान ऐसे संस्थानों से जुड़कर मानवीय गुण जैसे करुणा, दया एवं परोपकार के भाव विकसित होते हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि ऐसे संस्थानों

से जुड़ें और भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दें।

श्री शुक्ल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के गौरव तथा यहाँ की संस्कृति तथा सनातन परंपरा को विषयपल पर प्रदर्शित किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रातिशील राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा।

इंडिया ओपन राइफल और पिस्टल कॉम्पिटिशन 28 नवंबर तक

भोपाल, संबधानालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश और भारतीय राष्ट्रीय रायफल महासंघ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 19 से 28 नवम्बर तक इंडिया ओपन राइफल और पिस्टल कॉम्पिटिशन 2024 का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ग्राम गीता भोपाल में किया जा रहा है। शूटिंग अकादमी में रायफल, पिस्टल और शॉटगन की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अभ्यासशाला निर्मित है। पेरिस ओलंपिकों के प्रशिक्षण शिविर भोपाल में आयोजित हुये थे।

प्रदेशव्यापी विशेष अभियान 952 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार मध्यप्रदेश पुलिस अवैध नशे के कारोबार को नेशनलबूद करने के लिए निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डीजोपी श्री सुधीर सक्सेना के निदेश पर मध्यप्रदेश पुलिस ने 16 नवम्बर को सुबह 8 बजे से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 952 किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ जब्त किए हैं।

खरगोन, बडवानी, धार और देवास में हुई अधिक कार्रवाई
प्रदेशव्यापी अभियान में पुलिस ने 161 स्थानों पर अवैध मादक पदार्थ जब्त करने में सफलता पाई है। खरगोन जिले के विभिन्न स्थानों से 322.43 किलोग्राम गांजा, धार जिले में 200.3 किलोग्राम गांजा, बडवानी जिले के विभिन्न स्थानों से 157 किलो 900 ग्राम गांजा तथा 105 किलो 394 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। साथ ही 30 आरोपियों सहित 1 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है।

इस प्रकार प्रदेश में पुलिस ने लगातार विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 920.673 किलोग्राम गांजा, 9,090 ग्राम स्मैक, 0.4 ग्राम चरस एवं 30 किलोग्राम डोडाकार सहित 167 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सामा ही अवैध मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त 05 वाहनों को भी जब्त की है। अभियान के दूसरे दिन 15 नवंबर को भी प्रदेश पुलिस ने अभियान के तहत 144.7 किलोग्राम गांजा, 29 ग्राम स्मैक तथा 146.53 ग्राम ब्रॉउन शूगर जब्त कर 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

वन्य जीवों के विरुद्ध अपराधों को रोकने उच्च न्यायालय के निर्देश जारी

भोपाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव श्री वी.एन. अंबादे ने उच्च न्यायालय द्वारा वन्य-जीवों से संबंधित अपराध में लिये गये निर्णयों के परिपालन में प्रदेश के वन परिक्षेत्र के सभी अधिकाधिकियों को एडवायजर्री जारी की है। एडवायजर्री में उच्च न्यायालय के निर्णय 'मुन्डूल खंडादे एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन' और 'उत्कर्ष अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन' में सुनवाई के दौरान निर्णय को प्रविध्य में समान प्रकृति के वन अपराधों में शासन हित में अप्रत्यक्ष या विकाओं के निरस्तिकरण के लिये उपयोग किया जा सकता है।

सिख गुरुओं की वाणी और बलिदान ऐतिहासिक

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर श्री गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में श्री गुरुदास साहब जी का भव्य दर्बारा सजाया गया और लोण की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पगड़ी धारण कर दर्बारा में प्रवेश करते ही सभी उपस्थित बन ने 'जो बोले सो निहाल-सत श्री अकाल' के पद्य के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रकाश पर्व कार्यक्रम को संबोधित किया

सकते। यहां किसी पाखंड की जगह नहीं है। इस देव के लिए सभी मानें हैं। यही देव वाचस्प है। चारों वेदों का भी विद्युत यही है कि हम परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 10 सिख गुरुओं को

प्रणाम करता हूँ। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की परम्परा के माध्यम से सनातन संस्कृति बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में इस शाब्द का विस्तृत उल्लेख है।

5 से 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का विद्युतकर्मियों को लाभ

भोपाल, मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेश के बिजली कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कहा कि प्रदेश के विद्युतकर्मियों के लिए एक नई शुरुआत 'मध्यप्रदेश पावर कंपनी-कैशलेस स्वास्थ्य योजना' के रूप में की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाई गई यह योजना विद्युत कर्मियों के नियमित, सविधा एवं रिटायर्ड कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सभी लाभार्थी 5 से 25 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना से लगभग 90

हजार परिवार लाभान्वित होंगे। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विभिन्न विद्युत कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार इस योजना की मांग की जा रही थी। यह बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक है। योजना में निर्धारित अवधि में नामांकन करना होगा। योजना में तीन फैमिली लोअर विकल्प हैं। विकल्प एक में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज के लिए 500 रुपये प्रतिमाह, 10 लाख रुपये तक के बीमा के लिए 1000 और 25 लाख रुपये तक के बीमा के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह देना होगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से सहाय)

मध्यप्रदेश आईटी और साइंस के नये हब के रूप में होगा विकसित - मुख्यमंत्री

जबलपुर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में महाकौशल विज्ञान मेला और आरोग्य एक्सपो-2024 के समापन समारोह को वसुंधरी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और इन क्षेत्रों से जुड़ी सेवाओं का नया हब बनकर देश में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक, मेन्यूफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्प्यूटिकेशन तक विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। देश की टेक्नोलॉजी में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सुरासन के माध्यम से जन-कल्याण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के विभागों में डिजिटलाइज्ड प्रणाली संचालित है। अनेक नवाचार भी हुए हैं। मध्यप्रदेश में आर्टी और आईटीईएस क्षेत्र में निवेश भी बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश विज्ञान परिषद विद्यार्थियों को स्टार्टअप और इन्वेंशन के लिए मंच प्रदान कर रही है। मैटेरिअल इमेजरी एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग से जन-कल्याण के कई कार्य हो रहे हैं। किसानों के खसरे, नामांकन, बटाका आदि के कार्य और दस्तावेज पंजीयन साइबर तरीक़ी के माध्यम से हो रहे हैं।



- देश की टेक्नोलॉजी में मध्यप्रदेश दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान
- साइबर सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनी
- शासकीय विभागों में हुआ 105 मुख्य सूचना अधिकारियों का पंजीकरण
- भारत अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में बन रहा है महाशक्ति

निकुल किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में जहां जबलपुर में 17 करोड़ रुपये से अधिक लागत से साइंस सेंटर की पहल हुई है, वहीं उज्जैन में 230 करोड़ रुपये की लागत से साइंस रिसीट का निर्माण हो रहा है। आईआईटी जैदी संस्थानों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। वर्ष 2013 में प्रथम तारामंडल प्रारंभ हुआ था जिसे

अपग्रेड किया गया है। अत्याधुनिक ड्रीडी 4K तकनीक से विकसित नई व्यवस्था में इस वर्ष 400 सफल शो किए जा चुके हैं। इसी तरह अत्याधुनिक प्लेनेटोरियम, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन के उपयोग और नल-जल योजनाओं से लेकर सम्यक्ती प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। उज्जैन के डोंगला स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेधशाला के निर्माण से एस्ट्रोनामी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को नई पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत साइंसकल और बैलगाड़ी से प्रारंभ हुई अपनी अंतरिक्ष यात्रा को चंद्रमा, मंगल और सूर्य की तरफ बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे सक्षम नेता वैज्ञानिकों का हीसला बढ़ाने में साथ ही तो फलफलात मिल ही जाती है। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान के मार्ग को प्रशस्त किया है। आज इसरो ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति से दुनिया को परिचित करवा दिया है। एक महाशक्ति के रूप में भारत अपनी पहचान बना रहा है।

अधिकारी की संवेदनशीलता, प्रशासन की सफलता का आधार - राज्यपाल

भोपाल, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षार्थीन अधिकारियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि अधिकारी की संवेदनशीलता, प्रशासन की सफलता का आधार होती है। संवेदनशील अधिकारी, समाज और राष्ट्र के सच्चे सेवक होते हैं। वे अपने कार्यों से समाज और राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसीलिए अपने कार्य ब्यवहार में अधिकारियों को संवेदनशीलता के भाव को सदैव सर्वोपरि रखना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि इस पद तक पहुंचने में आपके माता-पिता और गुरुजनों की विशेष भूमिका है। समाज के हर व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान है। उन सबके प्रयत्न फलदायक के भाव को जीवन में

हमेशा याद रखें। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी युवा अधिकारी, विकसित भारत निर्माण के लिए संकल्पित अमृत पीपी की प्रतिनिधि हैं। विकसित भारत के लिए ऐसी कार्य संस्कृति बनाने की पहल करें, जिसमें जनता कानून लागू करने वालों से नहीं हरे, बल्कि कानून का सम्मान करो। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आम आदमी आई.पी.एस. अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संरक्षक और न्याय दिलाने में मदद करने वाले अधिकारी मानते हैं। उनके विश्वास पर खरा उतरना ही आपके कार्य की सफलता की कसौटी होगी। अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के अंतिम पंक्ति का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान है। उन सभी कर्मचारी व्यक्ति को सफल बनाने में करें।

66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ सम्पन्न

उज्जैन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आनुवंशिकी श्री इंद्र सिंह परमार और सुषम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप के आतिथ्य में 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय रिपटी परिवार के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप तारणेकर ने की।

कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा सुबहवार वादन, चंद्रमुख वादन एवं सोदरे वादन की प्रस्तुति दी गई। स्वामी श्री सिंघाराम दास जी महाशय ने उद्बोधन दिया कि जिस प्रकार समुद्र के रत्नों का लाभ वही उठा सकते हैं, जो ज्यवा गहरा गोता लगा सकते हैं। उभी जगत् भारतीय दर्शन का लाभ वही

ले सकते हैं, जो महाकवि कालिदास की कृतियों को आत्मसात कर सकते हैं। उन्होंने कि महाकवि कालिदास सिर्फ कवि नहीं थे, वह अपने समय के महान वेदांती एवं मीमांसी थे।

सुषम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि अखिल भारतीय समारोह एक प्रतिष्ठित समारोह है, यह समारोह 7 दिन तक संगीत, नाटक, वाद-विवाद, संगीत, संस्कृति-माला, सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास एक महान विद्वान थे। उनके ग्रंथ सिर्फ काव्य नहीं हैं, अपितु उनमें समाज के कल्याण के लिए संदेश भी निहित है।

'द साबरमती रिपोर्ट' काले पृष्ठ और घटना की सत्यता को सामने लाती है

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' इतिहास के काले अध्याय को सामने लाती है। यह फिल्म वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हुई घटना की सत्यता को सामने लाती है। फिल्म वास्तविक तथ्यों पर फिल्माई गई है। फिल्म, उन 59 कारसेकों के बलिदान की जानकारी देती है जिसे उस दौर में गलत बताया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मपुत्र किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में फिल्मकार की दृष्टि से अनेक महत्पूर्ण स्थान हैं।

डिजिटल नवाचार, सुरासन और जन-कल्याण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक साइबर सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी रिस्पॉन्स टीम (MP-CERT) का गठन किया गया है। सभी शासकीय विभाग मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी का पंजीकरण करवा चुके हैं। इस तरह के 105 अधिकारी

मध्यप्रदेश के शहरी स्वसहायता समूह नई दिल्ली में पुरस्कृत

नई दिल्ली, नई दिल्ली के भारत मंडप में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 'मध्यप्रदेश दिवस' का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेले में विभिन्न विभागों से शामिल स्व-सहायता समूह, उद्यमियों व कलाकारों को पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 2 स्व-सहायता समूहों को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार मिले। प्रथम स्थान पर धार के मांडव का रेवा स्व-सहायता समूह रहा, जिन्हें बाग प्रिंट के लिए पुरस्कार मिला। वहीं संतर स्व-सहायता समूह उज्जैन को बांस से बनी हुई सामग्री एवं कलात्मक डिजाइनों के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

मध्यप्रदेश बनेगा देश का लॉजिस्टिक्स हब

इंदौर, उप मुख्यमंत्री एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यों को अभ्यूतवर्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा विकास के लिये सतत नवाचार किये जा रहे हैं। नीति आयोग एक नवीन पहल कर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने नीति आयोग को बर्कशॉप के लिये बर्धाई दी। नीति आयोग ने आन्ध्रप्रदेश रणनीति तैयार करने के लिये एक कार्यशाला की। कार्यशाला का विषय 'मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब : चुनौतियां और समाधान' था। कार्यशाला में बताया गया कि मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिये एकीकृत रणनीति बनेगी। मल्टी-मॉडल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इंदौर में राज्य का पहला मल्टी-

प्रदेश के 20 जिलों में बनेंगे 100 ट्राइबल छात्रावास

भोपाल, जनजातीय कार्य, लोक परिषदमयि प्रबंधन तथा भोपाल गैस श्रावदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा देशभर में जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा-दीक्षा एवं उनकी आवासीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत केन्द्र सरकार ने देश के सभी प्रदेशों से ग्राह प्रस्तावों के अनुसार ट्राइबल छात्रावासों के निर्माण के लिये स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मान्य करते हुए 20 जिलों में 100

ट्राइबल छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। 20 जिलों के 50 ब्लॉकों में 2-2 ट्राइबल छात्रावास बनाये जायेंगे। यह सभी ट्राइबल छात्रावास 4-4 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे और 100-100 सीटें होंगे।

डॉ. शाह ने बताया कि अलीराजपुर जिले के अलीराजपुर, जोबट, कठ्ठीवाड़ा, सोनवाड़ा एवं उदयगढ़, बड़वनी जिले के पानसेमल एवं पाटी, बैतुल जिले के भीमपुर, मुताई एवं शाहपुर, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा, बिहुआ, हरई, जुनादेव, पारसिया एवं तामिया, दमोह जिले के तेंदुछेड़ा, छिडोरी जिले के छिडोरी, मेंहवानी, समानपुर एवं शाहपुर, जबलपुर

जिले के कुंडम, झाबुआ जिले के पेटलावद, भावा, राजापूर एवं बान्दला, खरगोन जिले के रामपुरगढ़, भीकनासर एवं क्षिरिया, मंडला जिले के नारायणगंज, नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर, पन्ना जिले के पवाई, सतना जिले के रामपुर-जबेला, सीहोर जिले के नरसुलगांज, सिवनी जिले के छपारा, धनीरा, महानासन एवं लखनवादन, शाहडोल जिले के ब्यौरी, बुधरा एवं जयसिंहगढ़, खजपुर जिले के कालहल एवं विजयपुर, शिवपुरी जिले के खनियाघाना और शिवपुरी, सीपी जिले के सीपी व सिंहावल तथा सिंगरीली जिले के बैतन, चित्तरींग एवं देवसर में होलाकर बनाए जायेंगे।

मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एमएलएलपी स्थापित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की कार्यशाला में राज्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने, नीति-निर्माण में सहाय के लिए एकात्र-विमर्श किया गया। इसमें लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई।

मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि, राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुशल इन्टेलिजेंट कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग सुविधाओं, मल्टी-मॉडल परिवहन और एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

डीजीपी ने गोंदिया पहुंच घायल जवान का स्वास्थ्य जाना

बालाघाट, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार मध्यप्रदेश पुलिस नक्सल उन्मूलन अभियान में पूरे प्राणपण से जुटी हुई है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत 17 नवंबर को बालाघाट जिले के धाना रूपरक्ष अंतर्गत चौकी सोनगुडवा के ग्राम कोहापार, कुन्दल जंगल क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हॉकफोर्ड और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में जवान श्री शिव कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली धने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेसा 17 नवंबर को कुंदल जंगल क्षेत्र में हुई नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए जवान शिव कुमार शर्मा के स्वास्थ्य का जायजा लेने 18 नवंबर को



डीजीपी श्री सुधीर सक्सेसा ने बालाघाट पहुंचकर पुलिस नक्सल मुठभेड़ की समीक्षा की। राज्य शासन के हेलीकोप्टर से गोंदिया अस्पताल और बालाघाट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी दूधपार पर चिकित्सकों से बातचीत कर घायल जवान को सर्वोत्तम इलाज देने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से पूरी चिकित्सा वाहन करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घटना के तुरंत बाद घायल जवान के इलाज के लिए चिकित्सकों से दूधपार पर बातचीत की और उन्हें हर संभव उपचार देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन्फा पुरा इलाज राज्य सरकार वाहन करेगी और राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है।

(स्रोत: समाचार एवं फोटो जनसंर्क विभाग, मध्यप्रदेश से सामाएं)

प्रदेश की विधानसभा

अगले मानसून सत्र तक होगी पेपरलेस

भोपाल, विधानसभा अध्यक्ष श्री नेन्द्र सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की विधानसभा को मानसून सत्र, 2025 तक पेपरलेस किया जाये। इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव ई-विधान परियोजना (नेवा) लागू की जाये। उन्होंने इस परियोजना के लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी देने के निर्देश दिये हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने विधानसभा में नेवा हाउस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह परियोजना जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदस्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रारोपित ई-विधान परियोजना लागू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये हैं। देश के 13 प्रदेशों के 14 सदस्यों ने यह परियोजना लागू की जा चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि अब अगले दो माह में परियोजना की प्रगति से समिति को अवगत कराया जाये। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के लिये केन्द्र सरकार के 'संसदीय कार्य मंत्रालय' को नोडल विभाग बनाया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने ई-विधान परियोजना में एन.आई.सी. का बिल्टा स्तर तक सहयोग लिये जाने की बात कहती हैं। संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश बिजयवर्मा ने कहा कि इस परियोजना को लागू करने के लिए विधायकों की जो समिति बनायी गयी है वह समिति जल्द उन उम्मीदों का दौरा करे, जहाँ इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक

श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन की स्वीकृति



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित किया

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के अंतर्गत 'श्रीकृष्ण पाथेय न्यास' का गठन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति अनुसार भगवान श्रीकृष्ण से संबंध क्षेत्रों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन किया जायेगा। न्यास द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों एवं संरचनाओं का प्रबंधन, सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना के लिए परामर्श, सुझाव, श्रीकृष्ण पाथेय के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास, पुस्तकालय, संग्रहालय की स्थापना आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित न्यास में कुल 28 सदस्य होंगे। इसमें 23 पदेन न्यासी सदस्य तथा 5 ख्याति प्राप्त विद्वत् सदस्य, अशासकीय न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित होंगे। अशासकीय न्यासी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होगा।

'श्रीकृष्ण पाथेय न्यास' का मुख्यालय भोपाल होगा। इसके लिये 6 पद सृजित किये जायेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन अथवा अन्य स्रोतों से अनुदान एवं दान प्राप्त कर सकता है। न्यास के संचालन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शोध-संवेक्षण एवं विकास कार्य के लिये आवश्यकतानुसार विशेष समितियों का गठन किया जा सकेगा। न्यास के

लिए श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के लिए तैयार विलेख में न्यास के अधिकार, कार्यकारी समिति, सदस्यों, कार्यकारी समिति के अधिकार, न्यासी सचिव के अधिकार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार, न्यास के लेखे एवं अंकेक्षण एवं न्यास के कार्यक्षेत्र एवं सीमा से संबंधित विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन होगा।

मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के चरण जहाँ-जहाँ पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित तथा संरक्षित करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों का प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन), अभिलेखन (रेकॉर्डिंग), छायांकन, फिल्मबन्धन तथा चित्रबन्धन आदि करना शामिल है। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के अंतर्गत अवस्थित भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों एवं उनमें स्थित जल संरचनाओं, वन सम्पदा, उद्यान आदि की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन किया जायेगा। इन धार्मिक तीर्थ स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसके साथ ही

उज्जैन में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की विधिवत शिक्षा के लिए सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना हेतु परामर्श, सुझाव एवं अन्य कार्यवाही की जायेगी।

केन्द्र एवं राज्य शासन के सर्व संबंधित विभागों के समन्वय से श्रीकृष्ण पाथेय के स्थानों का सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास तथा विभिन्न निर्माण एवं अपरोसंरचना का विकास किया जायेगा। साथ ही जन-सामान्य को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक रूप से प्रेरित करने हेतु पठनको, शोधार्थियों, युवाओं तथा सभी वर्ग के विद्यार्थियों की जानकारी के लिए पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सूचना केंद्रों की स्थापना की जायेगी। न्यास द्वारा पौराणिक काल से वर्तमान समय तक भगवान श्रीकृष्ण को जगद्गत् स्वरूप स्थापित करने में योगदान प्रदान करने वाले अनेक तेजस्वी नायकों, दार्शनिकों, मंत्रवृद्ध ऋषियों, संतों, मनीषियों, चिंतकों, कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के अथवा का रेखांकन एवं वाणिज्यों का ध्वन्यांकन तथा फिल्मबन्धन होगा। भगवान

श्रीकृष्ण की प्रेरक कथाओं और चित्रों का चित्रबन्धन, उत्कीर्णन एवं शिल्पकला के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जायेगा।

चयनित 209 स्टॉफ नर्सों को नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 27 जनवरी, 2022 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर स्टॉफ नर्स के पद पर चयनित 209 अभ्यर्थियों को विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दिये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

इंगोरिया-उन्हेल सड़क मार्ग स्वीकृत मंत्रिपरिषद ने उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-उन्हेल (लंबाई 23.71 किलोमीटर) 2-लेन मय पेव्ड रोडवर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दी है। यह सड़क 23.71 किलोमीटर लंबी होगी एवं 127 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जायेगी।

फैक्ट फाइल

10 हजार 405 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रदेश में सड़कों का जाल

मध्यप्रदेश को 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात

केंद्र की 40 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में स्थाई आधारभूत संरचना होगी विकसित

सड़क संपर्क विकास की आधारभूत कड़ी है। इसके आवागमन सुनिश्चित होता है जो विकास गतिविधियों के लिये आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की डबल इंजन सरकार से प्रदेश में जहाँ सड़कों का विस्तार हुआ है वहीं विकास को नया आयाम मिल रहा है। इससे प्रदेशवासियों का जीवन सुविधाजनक हुआ है। सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से देश को गति प्रदान की है।

हाई स्पीड कॉरिडोर

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 6-लेन आगरा-व्यालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। इसमें 4,613 करोड़ रुपये की लागत से 88 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर को विक्टोरिया-ऑपरेटिंग-ट्रस्ट्स पर गठन कर विकसित किया जाएगा, जो आगरा और व्यालियर के बीच यात्रा के समय को लगभग 50% तक कम कर देगा।

यह परियोजना मौजूदा 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात क्षमता को दोगुना से भी अधिक कर देगा। इससे उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जिससे बेहतर पर्यटन उद्योग विकसित होगा।

सड़क नेटवर्क होगा सक्षम

प्रदेश में लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ में कमी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह 6-लेन

प्रदेश का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास

नवीन स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रदेश के अंदर तथा महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के साथ व्यवसायिक और आगारिक यातायात में सुगमता आएगी जिसका प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अभूतपूर्व योगदान रहेगा।

प्रदेश में होने वाली कनेक्टिविटी

मध्यप्रदेश को इस वर्ष जनवरी माह में 10 हजार 405 करोड़ रुपये लागत वाली 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात।

भोपाल में 8,038 करोड़ रुपये की लागत से

498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास।

जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपये की लागत से

226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का शिलान्यास।

परियोजनाओं में एनएच-46 का 6-लेन विस्तार

एनएच-146बी का 4-लेन विस्तार और कई 2-लेन सड़क निर्माण कार्य शामिल।

ग्रीनफील्ड हाई-वे उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने हुए, आगरा जिले के गांव देवरी से शुरू होकर व्यालियर जिले के गांव सुसरा तक जाएगा। इस परियोजना में NH-44 के मौजूदा आगरा-व्यालियर खंड पर ओवरलेट और अन्य सड़क सुधार कार्य भी शामिल हैं।

देश में 50,655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर की लंबाई में फैली 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं में यह कॉरिडोर भी शामिल है, जो देश के परिवहन ढांचे को सुदृढ़ और सक्षम बनाए का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

भोपाल-कानपुर कॉरिडोर

मध्यप्रदेश को सड़क विकास की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है, जिसमें भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए 3589.4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में भोपाल से विदिशा, विदिशा से यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से केमाहा तक के मार्ग को चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा।

इस परियोजना से यातायात सुगम होगा, यात्रा के समय में कमी आएगी, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

शिलेरा शर्मा

(लेखक, सप्त-साप्ताहिक विषयों पर लिखते हैं)



जेसिका लेन

मिस अर्थ-2024 का जीता खिताब

ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेन ने मिस अर्थ-2024 का खिताब अपने नाम किया है। फिलीपींस के परनाक शहर में आयोजित मिस अर्थ प्रतियोगिता-2024 में 21 वर्षीय जेसिका ने 89 अन्य प्रतिभागियों को पछाड़कर यह प्रतियोगिता जीती। अल्बानिया की पूर्व मिस अर्थ ड्रिटा जिरी ने जेसिका लेन को मिस अर्थ-2024 का ताज पहनाया। जेसिका लेन मिस अर्थ का खिताब हासिल करने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन सुंदरी है। उल्लेखनीय है कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंटरनेशनल के साथ ही मिस अर्थ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है।

शिगका इशिवा

फिर चुने गए जापान के प्रधानमंत्री

जापान की संसद ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता शिगका इशिवा को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। इशिवा ने 465 सदस्यीय निचले सदन में विशाल बहुमत के साथ 160 के मुकामले 221 वोट से हराया। इशिवा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। इशिवा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को पिछले महीने हुए आम चुनाव में 209 सीटें मिली थीं और गठबंधन बहुमत से दूर रह गया था।

हुइन्ह थी धान थ्यू

मिस इंटरनेशनल-2024 बनीं

विगतनाम की 22 वर्षीय मॉडल हुइन्ह थी धान थ्यू मिस इंटरनेशनल-2024 बन गई हैं। हुइन्ह ने जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित समाह्वय में 71 प्रतिभागियों को पछाड़कर मिस इंटरनेशनल का ताज पहनाया। समाह्वय में बोलिविया की केमिला रोका दुर्से और स्पेन की अल्वा पोजे तीसरे स्थान पर रहीं। यह पहला अवसर है जब विगतनाम की किसी प्रतिभागी ने मिस इंटरनेशनल का खिताब हासिल किया है।

सोनु सूद

थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने

बॉलीवुड अभिनेता सोनु सूद को थाईलैंड सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए थाईलैंड पर्यटन मंत्रालय का 'ब्रांड एम्बेसडर' और 'आनरेरी टूरिज्म एडवाइजर' नियुक्त किया है। सोनु सूद ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर और एडवाइजर बनने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति उनके लिए नई उपलब्धि है जो न केवल उनके अभिनय कैरियर बल्कि उनके मानवतावादी कार्यों को वैश्विक पहचान दिलाती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान किए गए मानवीय प्रयासों के कारण सोनु सूद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

भारतीय रिजर्व बैंक की

नव्ये वर्ष की यात्रा पर बनेगी वेब सीरीज

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 90 वर्ष की यात्रा पर एक वेब सीरीज बनने वाली है, जिसे देखकर लोगों को देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जाने में आसानी होगी। आरबीआई ने इस बात का विषय 1935 में स्थापित आरबीआई ने इस वर्ष अगस्त में 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस वेब सीरीज में आरबीआई की वर्ष 1935 से अब तक की यात्रा को 30-30 मिनेट के पांच एपिसोड के जरिए बताया जाएगा। आरबीआई ने 6.5 करोड़ रुपये में वेब सीरीज तैयार करने की निविदा प्रोडक्शन हाउस स्टार इंडिया को सौंपी है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नामित

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि न्यायमूर्ति गवई को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित प्रभावी हो गया है। उल्लेखनीय है कि नालसा का कार्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं, जबकि प्रधान न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इस संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।

चिन्मय शर्मा

2.08 मीटर ऊंचाई तक 360 डिग्री का किक लगाकर बनाया रिकॉर्ड

भारत के मार्शल आर्ट कलाकार चिन्मय शर्मा ने 2.08 मीटर की ऊंचाई तक 360 डिग्री का किक में किया। गीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। चिन्मय ने यह कारनामा नई दिल्ली में किया। गीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक वीडियो जारी कर चिन्मय के रिकॉर्ड की जानकारी दी। चिन्मय के नाम कई अन्य रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। इनमें एक मिनेट में सर्वाधिक फुट कॉन्टेक्ट एल्बो स्ट्राइक लगाने और एक मिनेट में सार्थक कोहनी प्रहार (334) करने जैसे रिकॉर्ड शामिल हैं।

माइक वॉल्ट्ज

अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सांसद माइक वॉल्ट्ज को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वह 20 जनवरी, 2025 को मीजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान की जगह लेंगे। वॉल्ट्ज अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स 'ग्रिन बेर कमांडो' पर रह चुके हैं और तालिबान के खिलाफ जंग का हिस्सा रहे हैं। वॉल्ट्ज इंडिया कॉन्स से जुड़े हैं, इंडिया कॉन्स अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है, जो भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का काम करता है। वॉल्ट्ज को भारत समर्थक और चीन, पाकिस्तान और ईरान विरोधी माना जाता है।

विक्रम मिश्री

विदेश सचिव को दो वर्ष का सेवा विस्तार मिला

केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री को दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। विदेश सचिव मिश्री 30 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनका कार्यकाल 14 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है। विवेक मिश्री भारतीय विदेश के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने इस वर्ष जुलाई में विदेश सचिव का पदभार संभाला था। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय में कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में भारतीय मिशन में काम कर चुके हैं। वह चीन, स्पेन और म्यांमार में भारत के राजदूत रहे हैं।

डॉ. नवीन रामगुलाम

तीसरी बार बने मॉरीशस के प्रधानमंत्री

भारतवंशी डॉ. नवीन रामगुलाम तीसरी बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। रामगुलाम ने निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की जगह ली। जुगनाथ की पार्टी मिलिटर्ड सोशलिस्ट मूवमेंट को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मॉरीशस में हुए संसदीय चुनावों में डॉ. नवीन रामगुलाम की लेबर पार्टी के नेतृत्व वाले अलयांस फॉर चेंज ने बंपर जीत दर्ज की है। 12वें संसदीय चुनाव में 62 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें अलयांस फॉर चेंज ने 60 सीटें अपने नाम कीं। डॉ. नवीन रामगुलाम के पिता शिवसागर रामगुलाम भी वर्ष 1995 से 2000 तक मॉरीशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

शेख हसन खान

सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर की चढ़ाई

केरल के शेख हसन खान ने विश्व के सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने की उपलब्धि हासिल की है। शेख हसन ने ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियसको की चढ़ाई पूरी करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 10 नवंबर को कोसियसको पर चढ़ाई पूरी कर वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शेख हसन अब तक अंटार्कटिका में माउंट विंसन, एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो, यूरोप में माउंट एन्नूस, दक्षिण अमेरिका में माउंट एफॉनकानुआ और कर ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियसको पर चढ़ाई कर चुके हैं।

सामंथा हार्वे

उपन्यास 'ऑर्बिटल' जैता बुकर पुरस्कार

ब्रिटेन की जानी मानी लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास 'ऑर्बिटल' के लिए कथा साहित्य श्रेणी में इस वर्ष का बुकर पुरस्कार जीता है। सामंथा का यह पांचवां उपन्यास है। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रह रहे छह अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन की कहानी पर आधारित है। उन्होंने यह उपन्यास कौबड़ महामारी में लॉकडाउन के दौरान लिखा था। नवंबर 2023 में प्रकाशित हुआ यह उपन्यास ब्रिटेन में वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है। यह उपन्यास महज 136 पृष्ठों का है जो बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है।

माकां रवियो

अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट माकां रवियो को देश का अगला विदेश मंत्री नामित किया है। ट्रंप ने कहा कि यह ऐलान करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि माकां रवियो को अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया है। वह अमेरिका के लिए एक मजबूत धरोकर और निरभ्र नेता होंगे जो कभी भी विरोधियों के सामने नहीं झुकेंगे। रवियो अभी सीनेट इटिलिजेंस कमेटी के उपाध्यक्ष और विदेश संबंध समिति के सदस्य हैं। ट्रंप ने मैट गेट्ट्रूज को अमेरिका का अंटार्कटिक जल और टेम्पेटिट वलुली गेबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

स्मृति शेष

दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड किकी हकेन्सन का निधन

दुनिया की पहली विश्व सुंदरी बनी स्वीडन की मॉडल किकी हकेन्सन का निधन हो गया है। वह 95 वर्ष की थीं। किकी के परिवारों ने उनकी पत्नी की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने कैलिफोर्निया स्थित अंशर पर में निंद में ही अंतिम सांस ली। किकी हकेन्सन ने वर्ष 1951 में लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।

तमिल अभिनेता दिल्ली गणेश का निधन

तमिल सिनेमा के महारू अभिनेता दिल्ली गणेश (गणेशन) का निधन हो गया है। वह 80 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे। एक आगस्त 1944 को जन्में दिल्ली गणेश ने 400 से अधिक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्मों में आने से पहले गणेश 10 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में भी रहे हैं।

बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा का निधन

प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता और थिएटर कलाकार मनोज मित्रा का निधन हो गया है। 85 वर्षीय मनोज कुछ दिनों से बीमार थे। मनोज मित्रा ने अपने लंबे कैरियर के दौरान बुद्धदेव दासगुप्ता, बासु चटर्जी, बसु मजुमदार, शक्ति सामंत और गीतम घोष जैसे निर्देशकों के साथ काम किया है। मनोज मित्रा ने 100 से अधिक नाटक लिखे और उनका मंचन किया। वर्ष 1985 में मनोज को सर्वश्रेष्ठ नाटककार के लिए प्रसिद्ध संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला है।

सरोद वादक आशीष खान देव शर्मा का निधन

संगीत की दुनिया के विख्यात सरोद वादक आशीष खान देव शर्मा का 85 वर्ष की आयु में अमेरिका के कैलिफोर्निया में निधन हो गया है। वह संगीत के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध गैर परंपरे के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खां के पीढ़ थे। वह अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सहायक प्रोफेसर भी रहे हैं।

(स्रोत : संपादकिय टीम द्वारा साहित्य से संभार)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष : 07592-297001
E-mail : deangmevidisha@gmail.com, Website : www.gmevidisha.org
क्रमांक 5001/स्था./राज./इन-हाउस विज्ञापन-15/24 विदिशा, दिनांक : 13.11.2024

संशोधित सूचना

अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा द्वारा चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने हेतु इन-हाउस जारी विज्ञापित क्रमांक 4968/स्था. राज./इन-हाउस विज्ञापित-15 (शैक्षणिक)/24 दिनांक 11.11.2024 में वर्णित रिक्त पदों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। जिसका विवरण तालिका में निम्नानुसार है :-

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR/ASSISTANT PROFESSOR
(Promotion/Direct Recruitment) For In-house Candidate only

S. No.	Subject/Department	Process of Direct Recruitment will be followed for below posts Advertisd if no eligible candidate is available (सम्बन्धित पद जारी भ.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के एवं शासन के अन्य अखंड)															
		PROFESSOR				ASSOCIATE PROFESSOR				ASSISTANT PROFESSOR							
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	General Medicine	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obs & Gyn	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dermatology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Radiodiagnosis	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Psychiatry	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Surgery	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Community Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Physiology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Anaesthesia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Emergency Medicine	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PMR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Departments-11		Total UR-7				UR-3, ST-2, Total-5				Total UR-1							
Total Posts-13																	

महाविद्यालय स्तर पर जारी इन-हाउस जारी विज्ञापित क्रमांक 4968/स्था. राज./इन-हाउस विज्ञापित-15 (शैक्षणिक)/24 दिनांक 11.11.2024 में रिक्त पदों में उपरोक्तानुसार एवं अंतिम तिथि को संशोधित कर अंतिम तिथि 18.11.2024 के स्थान पर दिनांक **03.12.2024** की जाती है।

नोट :- उक्त विज्ञापित केवल महाविद्यालय में कार्यरत आंतरिक चिकित्सक शिक्षकों हेतु जारी की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

जी-19031/50263/2024 अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

(पृष्ठ 10 का श्रेय)

उपरोक्तानुसार विलंब शूलक के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 के लिए अभ्युत्सुकित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वीकार्य नहीं होगी।
- आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
- सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चर्चाई गई बाधित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के विस्ती भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुरण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक TRANSFER PETITION (C) No. 1120 OF 2023 Dated 02.09.2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक-5596/2024, 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं व माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-एस.एच.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- साक्षात्कार प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीवारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् प्रश्न पत्र के दोनों खण्ड "अ" एवं "ब" के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत है।
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक **05.12.2024** तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-
प्रति,
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
देसीडेंसी एरिया,
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-19171/50268/2024

उप परीक्षा नियंत्रक

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग नरसिंहपुर (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 14/वर्ष 2024-25/कार्य, नरसिंहपुर, दिनांक : 18.11.2024
 निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. उपसंभाग नरसिंहपुर के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के वार्षिक संधारण मरम्मत विशेष मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं अन्य समस्त प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु जोनल टेण्डर।

टेण्डर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	की दर (लाख में)	शेड्यूल राशि (रु. में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा राशि (रु. में)	प्रथम अंश	प्रस्तावित समाप्ति तिथि	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
2024_ PWD RB_ 382721_ I	नरसिंहपुर	वार्षिक संधारण मरम्मत	19.50	40,000	2,000	प्रथम अंश	31.03.2025	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

2. उपसंभाग नरसिंहपुर के अंतर्गत कोली, बरसान एवं तेन्डूछड़ा के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के वार्षिक संधारण मरम्मत विशेष मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं अन्य समस्त प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु जोनल टेण्डर।

टेण्डर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	की दर (लाख में)	शेड्यूल राशि (रु. में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा राशि (रु. में)	प्रथम अंश	प्रस्तावित समाप्ति तिथि	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
2024_ PWD RB_ 382722_ I	नरसिंहपुर	वार्षिक संधारण मरम्मत	10.00	20,000	2,000	प्रथम अंश	31.03.2025	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

3. उपसंभाग नरसिंहपुर के अंतर्गत सड़क मरम्मत किलोमीटर स्टोन, पाईन्ट स्टोन साईन बोर्ड आदि रखरखाव कार्य।

टेण्डर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	की दर (लाख में)	शेड्यूल राशि (रु. में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा राशि (रु. में)	प्रथम अंश	प्रस्तावित समाप्ति तिथि	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
2024_ PWD RB_ 382723_ I	नरसिंहपुर	सड़क मरम्मत	9.90	20,000	2,000	प्रथम अंश	01 माह	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

4. उपसंभाग गाड़वारा के अंतर्गत सड़क मरम्मत किलोमीटर स्टोन, पाईन्ट स्टोन साईन बोर्ड आदि रखरखाव कार्य।

टेण्डर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	की दर (लाख में)	शेड्यूल राशि (रु. में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा राशि (रु. में)	प्रथम अंश	प्रस्तावित समाप्ति तिथि	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
2024_ PWD RB_ 382725_ I	नरसिंहपुर	सड़क मरम्मत	5.05	10,500	2,000	प्रथम अंश	01 माह	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

5. उपसंभाग गोटेगांव के अंतर्गत सड़क मरम्मत किलोमीटर स्टोन, पाईन्ट स्टोन साईन बोर्ड आदि रखरखाव कार्य।

टेण्डर क्र.	जिला	कार्य का प्रकार	की दर (लाख में)	शेड्यूल राशि (रु. में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा राशि (रु. में)	प्रथम अंश	प्रस्तावित समाप्ति तिथि	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
2024_ PWD RB_ 382726_ I	नरसिंहपुर	निर्माण	446.16	4,46,500	15,000	प्रथम अंश	10 माह	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।	सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

योग- 492.68

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (ड्राफ्ट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 30.11.2024, (17.00) बजे निर्धारित है। विस्तृत एवं आरटी.ई. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट www.mptenders.gov.in में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जाएगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

मूल घोषण (ई.एम.डी.) राशि एवं अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत दिनांक 30.11.2024, (17.30) बजे तक उपरोक्तानुसार संबंधित पोर्टल में प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-19200/50269/2024 लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग नरसिंहपुर

कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर

फोन नं. : 07582-220840, ई-मेल आई.डी. : cepwsdsagar@mp.nic.in
 सागर, दिनांक : 18.11.2024

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा नवीन एकलूकत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रण की जाती है :-

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. बेढी से शाहपुर बाया लोशन पुर्वा मार्ग निर्माण कार्य लं. 4.90 कि.मी. का निर्माण कार्य। विद्युतीकरण कार्य सहित।

पोर्टल टेण्डर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह सहित)	
2024_PWD RB_ 382595_ I	छतरपुर	526.21	526210/-	20000/-	08 माह	
2. नाद तिरैला से तिलियन नीची खेड़ा बाया खड्डेही मार्ग निर्माण कार्य लं. 5.90 कि.मी।	2024_PWD RB_ 382596_ I	छतरपुर	630.58	630580/-	20000/-	08 माह
3. बमनारी से दत्तलापाहड के नीचे से महिहार पोरा रोड निर्माण कार्य लंबाई 6.00 कि.मी।	2024_PWD RB_ 382597_ I	छतरपुर	595.58	595580/-	20000/-	08 माह
4. ग्राम सुनाटी मुख्य मार्ग से नये घर मचा तक मार्ग लंबाई 3.31 कि.मी. एवं झिकमउ से नहर होते हुये दीवाना जू का पुर्वा तक सड़क निर्माण लंबाई 2.65 कि.मी. कुल लंबाई 5.96 कि.मी।	2024_PWD RB_ 382595_ I	छतरपुर	636.93	636930/-	20000/-	08 माह

योग - 2389.30

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <http://mptenders.gov.in/> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेगे।

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैश/ईएनटीएन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।

3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 18.11.2024 समय 17.30 बजे से दिनांक 02.12.2024 समय 17.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखा जा सकती है।

4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर

जी-19203/50270/2024



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 दिनांक 04.08.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापि क्र.-11055/34/2024/अनु.-10

इंदौर दिनांक : 20.11.2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- विज्ञापन क्रमांक-23/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 11.05.2023।
 - (1) विज्ञापि क्रमांक-1263/30.12.2022/अनु.-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)
 - (2) शुद्ध पत्र क्रमांक-1/16/2022 से 53/2022 दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)
 - (3) संशोधित शुद्ध पत्र क्रमांक-3/16/2022 से 53/2022 दिनांक 25.07.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीडा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)
 - (4) शुद्ध पत्र क्रमांक-5/23/2022 दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)
 - (5) विज्ञापि क्रमांक-3295/2024/प.नि., इंदौर दिनांक 20.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 स्थगन के संबंध में)
 - (6) शुद्ध पत्र क्रमांक-7/16-53/2022 दिनांक 28.03.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
 - (7) शुद्ध पत्र क्रमांक-8/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास), (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 (समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीडा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)
 - (8) शुद्ध पत्र क्रमांक-2/16/2022 से 51/2022 दिनांक 15.03.2023 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत छूट के संबंध में)
 - (9) शुद्ध पत्र क्रमांक-10/16-53/2022 दिनांक 21.06.2024 सहायक प्राध्यापक परीक्षा के आयोजन की सूचना संबंधी)
 - (10) शुद्ध पत्र क्रमांक-11/23/2022 दिनांक 10.09.2024 (सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य एवं प्रावधिक भाग के पदों की जानकारी)
02. उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं खालियार के केंद्रों पर दिनांक 04.08.2024 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम सत्र पर सामान्य अभ्यर्थन प्रारंभ : 10:00 से 11:00 बजे एवं द्वितीय सत्र पर अर्थशास्त्र दोपहर 01:00 से 04 बजे तक आयोजित की गई थी।
03. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्ध पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित

क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	44	7	26	20	7	104
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	15	2	9	7	2	35
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)						2

04. राय सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-23/2022/30.12.2022 में मुख्य एवं प्रावधिक भाग के विज्ञापित पदों के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
- परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

- सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही समाहित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरत तब अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
- परीक्षा परिणामों में मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में ही बने होंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है। जिसे आयोग द्वारा शुद्ध पत्र क्रमांक-11/23/2022, दिनांक 10.09.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022	20	16	4

उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना-समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल-336 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (ECONOMICS)-PART A (MAIN) ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.	S. NO.	ROLL NO.
1.	220002	69.	220276	137.	220662	205.	221388	273.	222013
2.	220008	70.	220280	138.	220675	206.	221391	274.	222021
3.	220021	71.	220281	139.	220676	207.	221422	275.	222026
4.	220022	72.	220285	140.	220677	208.	221424	276.	222036
5.	220025	73.	220286	141.	220679	209.	221427	277.	222047
6.	220031	74.	220288	142.	220692	210.	221434	278.	222050
7.	220033	75.	220291	143.	220694	211.	221435	279.	222056
8.	220034	76.	220294	144.	220695	212.	221455	280.	222063
9.	220036	77.	220297	145.	220707	213.	221460	281.	222090
10.	220044	78.	220300	146.	220710	214.	221465	282.	222097
11.	220044	79.	220301	147.	220712	215.	221466	283.	222101
12.	220045	80.	220304	148.	220717	216.	221484	284.	222112
13.	220048	81.	220309	149.	220745	217.	221492	285.	222123
14.	220058	82.	220316	150.	220756	218.	221507	286.	222131
15.	220060	83.	220319	151.	220768	219.	221523	287.	222134
16.	220064	84.	220341	152.	220773	220.	221532	288.	222203
17.	220065	85.	220343	153.	220785	221.	221546	289.	222232
18.	220068	86.	220352	154.	220812	222.	221552	290.	222237
19.	220070	87.	220354	155.	220815	223.	221568	291.	222253
20.	220075	88.	220355	156.	220821	224.	221580	292.	222262
21.	220078	89.	220360	157.	220836	225.	221583	293.	222276
22.	220079	90.	220365	158.	220851	226.	221586	294.	222294
23.	220088	91.	220366	159.	220860	227.	221591	295.	222296
24.	220091	92.	220378	160.	220861	228.	221607	296.	222325
25.	220092	93.	220379	161.	220865	229.	221614	297.	222329
26.	220093	94.	220387	162.	220875	230.	221617	298.	222333
27.	220096	95.	220388	163.	220885	231.	221619	299.	222332
28.	220103	96.	220397	164.	220905	232.	221629	300.	222367
29.	220107	97.	220400	165.	220909	233.	221635	301.	222378
30.	220111	98.	220402	166.	220923	234.	221639	302.	222383
31.	220114	99.	220404	167.	220938	235.	221641	303.	222390
32.	220116	100.	220405	168.	220976	236.	221665	304.	222400
33.	220119	101.	220408	169.	220996	237.	221666	305.	222405
34.	220121	102.	220410	170.	220999	238.	221679	306.	222413
35.	220131	103.	220411	171.	221007	239.	221689	307.	222425
36.	220132	104.	220413	172.	221010	240.	221692	308.	222436
37.	220135	105.	220418	173.	221036	241.	221696	309.	222437
38.	220144	106.	220419	174.	221056	242.	221704	310.	222476
39.	220149	107.	220429	175.	221063	243.	221715	311.	222492
40.	220151	108.	220432	176.	221123	244.	221718	312.	222510
41.	220152	109.	220435	177.	221139	245.	221746	313.	222519
42.	220155	110.	220437	178.	221156	246.	221768	314.	222525
43.	220156	111.	220445	179.	221162	247.	221781	315.	222538
44.	220159	112.	220447	180.	221166	248.	221784	316.	222545
45.	220162	113.	220452	181.	221174	249.	221808	317.	222554
46.	220165	114.	220455	182.	221178	250.	221809	318.	222567
47.	220166	115.	220456	183.	221180	251.	221821	319.	222569
48.	220169	116.	220464	184.	221182	252.	221822	320.	222577
49.	220170	117.	220477	185.	221201	253.	221827	321.	222633
50.	220188	118.	220491	186.	221205	254.	221830	322.	222634
51.	220193	119.	220499	187.	221206	255.	221833	323.	222640
52.	220196	120.	220507	188.	221211	256.	221877	324.	222642
53.	220197	121.	220516	189.	221223	257.	221881	325.	222654
54.	220199	122.	220538	190.	221234	258.	221900	326.	222682
55.	220201	123.	220559	191.	221264	259.	221911	327.	222705
56.	220204	124.	220563	192.	221268	260.	221930	328.	222707
57.	220208	125.	220565	193.	221283	261.	221946	329.	222724
58.	220219	126.	220571	194.	221290	262.	221949	330.	222749
59.	220221	127.	220583	195.	221292	263.	221950	331.	222775
60.	220223	128.	220598	196.	221298	264.	221956	332.	222788
61.	220226	129.	220605	197.	221331	265.	221963	333.	222799
62.	220235	130.	220624	198.	221338	266.	221982	334.	222802
63.	220241	131.	220631	199.	221353	267.	221984	335.	222803
64.	220244	132.	220634	200.	221354	268.	221989	336.	222814
65.	220255	133.	220636	201.	221357	269.	221991		
66.	220263	134.	220639	202.	221372	270.	221999		
67.	220264	135.	220648	203.	221375	271.	222003		
68.	220268	136.	220654	204.	221377	272.	222007		

प्राथमिक भाग-ब के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना-समान अंक प्राप्त प्राथमिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल-36 अभ्यर्थियों की अनुक्रमिकार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (ECONOMICS)-PART B (PROVISIONAL)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.	S.NO.	ROLL NO.
1.	220003	9.	220803	17.	221615	25.	222011
2.	220098	10.	220985	18.	221634	26.	222040
3.	220171	11.	220987	19.	221663	27.	222066
4.	220192	12.	221179	20.	221672	28.	222100
5.	220335	13.	221181	21.	221683	29.	222105
6.	220340	14.	221301	22.	221734	30.	222116
7.	220726	15.	221516	23.	221749	31.	222291
8.	220780	16.	221549	24.	221951	32.	222310

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 23/2022/30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022
अनुक्रमांक :-	अभ्यर्थी का नाम :-

स. क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
6.	पोषणा पत्र (किस्ती भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
7.	हाईस्कूल की अंक्तसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
8.	हायर सेकेण्डरी की अंक्तसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंक्तसूचियां एवं उपाधि (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
13.	मूल निवासी/स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जाचक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए विंतीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-23/2022/30.12.2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.02.2023 से दिनांक 19.03.2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा विंतीय वर्ष 2022-2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक

(2) आयोग के शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 18.12.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा विंतीय वर्ष 2023-2024 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (3) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा विंतीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
17. महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
18. म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
19. मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
20. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि का विवरण पत्रक की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
21. अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र (आधार कार्ड, म.प्र. परिचय पत्र/नेट/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोजन द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्राइविंग लायसेंस)। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
22. दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
23. यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो। जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
24. आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्राथमिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
25. अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक.....से.....तक
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :-

05. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार बांझित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणांत/स्वरमाणिता छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 11.12.2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही जाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
06. आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-
आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 11.12.2024 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/भयम प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कराने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।
- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 01. | निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)। | दिनांक 12.12.2024 से 18.12.2024 तक |
| 02. | निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)। | दिनांक 19.12.2024 से 26.12.2024 तक |
- उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

- सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राथमिक है। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्राथमिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुपरीकृत किया गया है। (लोक अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संशर्षक हदा

Office Email ID : ceesharda@mp.gov.in, Office Phone No. : 07577-222519

क्र. 1281/व.से.लि.प्रा.सं.से.2024-25

हरदा, दिनांक : 18.11.2024

संक्षिप्त निवदा आर्षत्रण सूचना क्र. 09/2024-25

संभाग अर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निवदाये आर्षत्रित की गई है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

ऑनलाइन नु कवर पद्धति -

क्र.	सिस्टम टेण्डर नं.	कार्य का नाम	निवदा की अनु. लागत (रुपये में)
1.	2024_RES_382831	पुलिस लाइन जिला हदा में परेड ग्राउंड में शहीद स्मारक के बायीं ओर टोन रोड निर्माण कार्य	1088540/-
		योग	1088540/-

उक्त निवदाओं को वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निवदा प्रण (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से क्रम क्रिये जा सकते हैं। निवदा प्रण क्रम करने की प्रारंभिक दिनांक 25.11.2024 को समय 14.00 बजे तथा निवदा प्रण ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 04.12.2024 समय 17.30 बजे तक निर्धारित है। निवदा में होने वाले विस्तृत निवदा उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निवदा में होने वाले समस्त संशोधनों का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जाएगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-19174/50271/2024

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग हदा

कार्यालय प्राचार्य शा. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन (म.प्र.)

दीनदयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स के पीछे गांधी नगर सांवेर रोड उज्जैन

(दूरभाष क. 0734-2990029)

म.प्र. राज्य सेवा आयोग परीक्षा 2025, म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, एस.एस.सी., रेलवे एवं बैंकिंग चयन मण्डलों एवं अन्य शासकीय सेवा में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अर्धवर्षियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग हेतु विज्ञापन

म.प्र. शासन अनुसूचित जाति विकास विभाग भोपाल द्वारा संघालित शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन म.प्र. में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अर्धवर्षियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग संघालित है। निम्न शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आर्षत्रित किये जाते हैं।

- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य एवं म.प्र. का मूल निवासी हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष हो। आवेदक ने पूर्व में किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण न लिया हो।
- आवेदक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो एवं संस्था में प्रशिक्षण हेतु चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 55 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हो।
- प्रशिक्षण केन्द्र में पुरतकाल्य, कम्प्यूटर रजिस्ट्रार कक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- उपरोक्तानुसार आवेदक सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की उतर्ती अंकसूची, पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आई.डी. सभी प्रमाण पत्रों की छात्रप्रति स्व-प्रमाणित कर निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर, कार्यलय प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन म.प्र. में डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय एवं दिवसों में कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

उपसंचालक/प्राचार्य

जी-19300/50279/2024

शा. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परमाण्य माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अर्पण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वार्षिक औपचारिकताएं पुर न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अर्धवर्षी की उम्मीदवारी निरस्ती की जा सकती है।
- साक्षात्कार हेतु प्राथमिक रूप से अर्ध अर्धवर्षियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्तर किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही अंतिमिक मानने जाएगी।
- उपरोक्तानुसार जारी प्राथमिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक TRANSFER PETITION (C) No. 1120 OF 2023 Dated 02.09.2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक-5596/2024, 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं व माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-एस.एल.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अर्धवर्षी रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जन्मागीरता) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में सविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तर्कनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अर्धवर्षियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् प्रश्न पत्र के दोनों खण्ड 'अ' एवं 'ब' के लिए न्यूनतम उत्तीर्णक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णक यथावत है।
- अर्धवर्षियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 11.12.2024 तक निम्न पत्र पर भेजना सुनिश्चित करें :-
प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेंसी परिसर,

इंदौर

अर्धवर्षी अपने अभिलेख के लिफाके पर सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

जी-19295/50278/2024

उप परीक्षा नियंत्रक



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 11215/08/2023/चयन

इन्दौर, दिनांक : 21.11.2024

पदनाम - जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी

चयन - सूची (मुख्य भाग 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 08/2023 दिनांक 13.03.2023 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में म.प्र. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के कुल 06 पद (अनारक्षित - 03, अ.जा. 01, अ.ज.जा. 01, अ.पि.वर्ग 01, ई.डब्ल्यू.एस. निरंक) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद (अनारक्षित-01, अ.जा.-निरंक, अ.ज.जा.-निरंक, अ.पि.वर्ग-निरंक, ई.डब्ल्यू.एस.- निरंक) (कुल विज्ञापित पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांग के लिए-01 पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ध आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को आयोजित किए गए 2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चूंकि उक्त विज्ञापित पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित पद की संख्या 01 होने के कारण इस पद हेतु 87 एवं 13 प्रतिशत पदों के विभाजन की आवश्यकता नहीं है। अतएव चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु विज्ञापित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या 01 होने के कारण प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत हेतु रिक्तियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अतएव साक्षात्कार में प्रांतांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी (म.प्र. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग) पद विवरण तालिका (मुख्य भाग 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	3	1	1	1	0	6
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	1	0	0	0	0	
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद				1		

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1.	12064	SUMIT TOMAR	M	UNR	UNR
2.	12156	AJEM KHAN	M	OBC	OBC
3.	12137	RAHUL BARESA	M	SC	SC
4.	12087	RITIKA DUBEY	F	UNRF	UNR
5.	12193	SENA GADRIYA	F	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1.	12152	PUSHPENDRA NARVARIYA	M	OBC
2.	12192	ARVIND VERMA	M	OBC
3.	12127	KISHOR KUMAR SAKET	M	SC
4.	12130	UJJAWALA RANBHOUR	F	SC
5.	12197	PREETI SINGH MARKO	F	ST

टिप - 1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-74/66/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शक के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं, जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रिश्ताय के योग्यता प्राप्त किए। किसी प्रकार की रिश्ताय को प्राप्त किए बिना तथा परिपत्र में उक्त प्रावधानों के अंतर्गत चयनित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मॉरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है। 2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अर्धवर्षी उपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अर्धवर्षियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है। 3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 4. विज्ञापित कुल 06 पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 01 पद (श्रवणबाधित-01 पद) विज्ञापित हैं परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अर्धवर्षी उपलब्ध नहीं होने के कारण यह 01 पद रिक्त रहा है। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधानित है। अतः कुल 01 पद दिव्यांगजन के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखा गया है। 5. न्यायालयीन प्रकरण वाले अर्धवर्षियों के चयन परिणाम रोके जाकर मान न्यायालय के अंतिम निर्णय के अर्धवर्षी रखे गए हैं। 6. घोषित चयन परिणाम मान उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 25465/2024, डब्ल्यू.पी. 30491/2024 एवं डब्ल्यू.पी. 28011/2024 के अंतिम निर्णय के अर्धवर्षी रहेगा।

जी-19320/50284/2024

प्रभारी सचिव

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

मध्यप्रदेश पुलिस आवास
एवं अर्धवर्षीसंरचना विकास निगम
कार्यालय परिसर/कोठी बंगला, संभाग क्र. 1, चन्द्रवाडा रोड, भोपाल
क्र./1484/रसा/प.पं/2024 दिनांक : 20.11.2024

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यलय द्वारा इमामवाड़ा (कोतवाली) भोपाल में पुलिस चौकी भवन का शेष निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निवदा आर्षत्रित की जाती है। निवदा क्रमांक 2024_MPPHC_383494_1 दिनांक 02.12.2024 समय अपरान्ह 17:00 बजे तक खरीदी जा सकती है। विस्तृत निवदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/117447/2024 न-50281/2024 परियोजना यंत्री

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सौसर

जिला पांडुरना (म.प्र.)

Email ID - cmosansar@mpurban.gov.in

क्रमांक 1408/लो.नि.प.रा.प./2024

सौसर, दिनांक : 19.11.2024

चतुर्थ निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण Website <https://www.mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समाप्ति एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
2024_UAD_334011_4	Interception & Diversion of Nallahs with STP works	12 माह 5,91,41,000/-	20,000/- 2,95,708/-	09.12.2024

दि. 19.11.2024 दि. 19.11.2024 Project of Sausar town under SBM 2.0

शर्त :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन <https://www.mptenders.gov.in> की Website पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सौसर

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेंडरिंग/406/1514

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

ईमेल : mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.enwrdb.bpl@mp.gov.in

फोन : 0755-2553402, फैक्स : 0755-2552406

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक - 589/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग भोपाल, दिनांक : 20.11.2024 निम्न कार्य हेतु निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 06.12.2024 को 17.30 बजे तक डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1.	2024_WRD_374429	तबा बांधी तट मुख्य नहर की नहरों का जंगल सफाई कार्य	हरदा	9.60
2.	2024_WRD_379779	ददुनी मध्यम परियोजना की फेज-2 सब माइनर केनाल पर स्थापित 08 नग जलद्वारों का सुधार एवं रखरखाव कार्य	घार	0.84
3.	2024_WRD_380665	मोहनपुर कुण्डालिया पी.एम.यू. कार्यालय भवन, वन वाटिका के पास राजगढ़ राजगढ़ का नवीनीकरण का कार्य	राजगढ़	19.49
4.	2024_WRD_380669	कुण्डालिया नहर परियोजना के सेक्टर बांध की सीजेंज ड्रेन से जल निकासी हेतु सी.सी. चेंबर एवं पाइप लाइन का कार्य	राजगढ़	15.50
5.	2024_WRD_380715	लाइट मशीनरी एवं वि.वा. उपसंभाग गांधी सागर हेतु निरीक्षण वाहन उज्जैन किराये पर लेना (द्वितीय आमंत्रण)	उज्जैन	4.04
6.	2024_WRD_380756	बिजना मध्यम जलाशय की बांधी तट नहर की रिटेनिंग बॉल का निर्माण एवं सिक्नी टोलापिपीरिया जलाशय के बी.आर.जी. निर्माण एवं अन्य कार्य	सिक्नी	5.66
7.	2024_WRD_380759	पीपरताल, पिपीरिया एवं कातोली जलाशय की विभिन्न आर.डी. की नहर लाईनिंग, क्षतिग्रस्त बैंक का सुधार एवं अन्य कार्य	सिक्नी	1.82
8.	2024_WRD_381805	बादलपुर जलाशय का एप्रोच एवं सायफन का मरम्मत कार्य	बैतूल	1.70
9.	2024_WRD_381806	झारकुंड जलाशय का एक्वाइजिट का कार्य	बैतूल	4.76
10.	2024_WRD_381997	ग्राम इमलिया (बपीरा) की शक्कर नदी के दाएं तट संरक्षण के सर्वे कार्य जबलपुर (द्वितीय आमंत्रण)	जबलपुर	1.03
11.	2024_WRD_382022	झोलियापुर बैराज के वर्टिकल लिफ्ट गेट्स एवं आर.बी.एम.सी. व एल.बी. एम.सी. हेड स्ट्रुक्स गेट्स का अनुरक्षण कार्य	भोपाल	2.27
12.	2024_WRD_382024	झोलियापुर बैराज के एरियल बांध केबल उपरन्ध्र कराने एवं बिछाने का कार्य	भोपाल	0.96
13.	2024_WRD_382025	झोलियापुर बैराज के स्टार्टर पैरन्स का सुधार कार्य	भोपाल	0.41
14.	2024_WRD_382026	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल में स्थित 400 के.वी.ए., डी.जी. सेट की विमनी एक्सटेंशन हेतु फेब्रिकेशन का कार्य	भोपाल	0.42
15.	2024_WRD_382027	रेहटी बांध, के 07 नग रोप ड्रम सोल्ट टाइप वर्टिकल गेट्स एवं 63 के.वी.ए. सब स्टेशन का सुधार एवं मरम्मत का कार्य	भोपाल	2.64
16.	2024_WRD_382028	बधूर बांध, विद्युत उपकेंद्र में स्थित 11/0.4 के.वी. 63. के.वी.ए. ट्रांसफार्मर का सुधार एवं मरम्मत का कार्य	भोपाल	1.63
17.	2024_WRD_382031	बधूर बांध पर स्थित 01 नग हैण्डपंप एवं रेहटी बांध, के 02 नग इडिया मार्क-2 हैण्डपंप का सुधार एवं मरम्मत का कार्य	भोपाल	0.93
18.	2024_WRD_382033	उपसंभाग-बेगमगंज की बेगमगंज कॉलोनी की आंतरिक वायारिंग एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य	भोपाल	3.90
19.	2024_WRD_382036	मुंडला बांध, की विद्युत आपूर्ति हेतु 01 नग 100 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर संस्थापन का कार्य	भोपाल	10.53
		कुल योग		88.14

जी-19282/50277/2024

मुख्य अभियंता (प्रोक्वियमेंट)

कार्यालय मुख्य अभियंता

लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर

फोन नं. : 07582-220840, ईमेल आई.डी. : cepwdsagar@mp.nic.in

एनआईटी नं. -05/2024-25/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण सागर, दिनांक : 19.11.2024

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा नवीन एकीकृत पंजीवन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रण की जाती है :-
क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. लोक निर्माण विभाग संभाग निवाड़ी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित अनुमानित लागत रु. 635.16 लाख।

1. विनवाड़ा ग्राम से ब्रवान ग्राम उ.प्र. सीमा तक मार्ग निर्माण कार्य लं. 7.00 कि.मी। 2. मरूआ झोरा से उ.प्र. सीमा तक मार्ग निर्माण लं. 1.50 कि.मी. 3. सकुली ग्राम से रेकवार मुहल्ला सिरक तक मार्ग निर्माण कार्य लं. 1.50 कि.मी। 4. ग्राम यावली से उल्हन उ.प्र. सीमा तक मार्ग निर्माण कार्य लं. 1.00 कि.मी।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (एंपसी) लाख में	आमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह) में वर्षाकाल सहित)
2024_PWDRB_382987_1	निवाड़ी	635.16	635160/-	20000/-	08 माह

क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. कवोर एम.पी. सीमा से विचव मोटे का हार तक मार्ग निर्माण कार्य लं. 5.50 कि.मी. विद्युतीकरण कार्य सहित अनुमानित लागत 675.51 लाख।

2024_PWDRB_382989_1	टीकमगढ़	675.51	675510/-	20000/-	10 माह
योग -		1310.67			

- निविदा से संबंधित बिड डाक्यूमेंट वेबसाइट <http://mptenders.gov.in/> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सके।
- निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
- निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 19.11.2024 समय 17.30 बजे से दिनांक 03.12.2024 समय 17.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता

जी-19238/50274/2024

लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छतरपुर (म.प्र.)

Email : cepwdhatar@mp.nic.in, Fax No. : 07682-246518, Phone No. : 07682-246516

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 05/2024-25 छतरपुर, दिनांक : 20.11.2024 निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

स. क्र.	टेण्डर क्र. आई.डी. क्रमांक	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	2024_PWDRB_383191	बराचखेरा से महाराजगंज तक रोड कार्य लंबाई 4.30 कि.मी. का निर्माण	प्रथम	403.70	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2.	2024_PWDRB_383192	निर्माण रक्सापुरवा में नाले पर रफ्टा निर्माण एवं गेटवेयज से नांव नरिया पुरिया का निर्माण कार्य	प्रथम	122.35	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3.	2024_PWDRB_383193	निर्माण बगमऊ से सांराम कालोनी लवकुशानगर मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 3.00 कि.मी।	प्रथम	301.25	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4.	2024_PWDRB_383194	निर्माण नागदा किरानगढ़ मुख्य मार्ग से मलवारा मदीपुरा मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 2.50 कि.मी।	प्रथम	315.31	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5.	2024_PWDRB_383195	निर्माण अनारह बखशीपुरवा मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 3.00 कि.मी।	प्रथम	277.83	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6.	2024_PWDRB_383196	निर्माण रौली पडापुर मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 1.35 कि.मी. एवं रजपुर कसारा मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 2.50 कि.मी।	प्रथम	406.11	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7.	2024_PWDRB_383197	निर्माण लोशी से कहानपुरवा मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी. एवं चंदला मेन रोड से काछन पुरवा मार्ग लंबाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य	प्रथम	449.09	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8.	2024_PWDRB_383198	निर्माण सितोहर मेन रोड से संतोष पुरवा मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी. एवं गौरहर मुख्य मार्ग से माध्यमिक शाला पटवा मार्ग लंबाई 1.60 कि.मी. का निर्माण कार्य	प्रथम	398.41	वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
योग -				2674.05	

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निम्न प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन रूप में की अंतिम तिथि 05.12.2024 एवं ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.12.2024 (17.30) बजे निर्धारित है। निविदा दिनांक 07.12.2024 को कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर में खोली जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-19252/50275/2024

लो.नि.वि. (भ/स) संभाग छतरपुर

समूह-5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि 25.11.2024 से 09.12.2024 तक	ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी	आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 25.11.2024 से 14.12.2024 तक
संभावित परीक्षा दिनांक 10 जनवरी 2025 से प्रारंभ	परीक्षा की पाली प्रथम द्वितीय	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय प्रातः 07:00 से प्रातः 08:00 बजे तक दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
		उपर अंकित का समय प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (02 घंटे) दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)

- परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियमसूचिका मण्डल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध होगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन-पत्र भरा जावे।
- वेबसाइट www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
- संभावित परीक्षा शहर- बालाघाट, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खारविल, रत्नाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, छहखंड, सीधी एवं नीमच।
- परीक्षा शुल्क*

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 500/- प्रति प्रश्न पत्र
केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 250/- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाइन आवेदन- किमोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क	रुपये 60/-
अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन सुझर के माध्यम से लांगिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क	रुपये 20/-

विशेष नोट

- अभ्यर्थी का आधार पंजीवन अनिवार्य है।
- मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय-पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुलतरंगी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वही परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अत्यांकी कवायम सुनिश्चित करें।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टैब्लेट, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं sun glasses (धूप का चश्मा) आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बातल प्लाईड पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरने समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रश्नावली का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर निवृत्ति प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्राथमिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट- मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केंद्रों एवं अन्य विन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

‘चयन भवन’ मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (इंस्ट) भोपाल - 462011
 Fax : +91-0755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

विज्ञापन क्र. 41/2024

म.प्र. माध्यम/117466/2024

R-50283/2024

संचालक

R-50282/2024

समूह-5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में सूचना

दिनांक 22.11.2024 को समूह-5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2024 हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन क्र. 41 में उल्लेखित उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

स.क्र.	विवरण	तिथि
1.	आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	26.11.2024
2.	आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि	26.11.2024
3.	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	10.12.2024
4.	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	15.12.2024

* परीक्षा की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संचालक



मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

‘चयन भवन’ मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (इंस्ट) भोपाल - 462011
 Fax : +91-0755-2550498, Website : www.esb.mp.gov.in

विज्ञापन क्र. 42/2024

R-50286/2024

म.प्र. माध्यम/117497/2024



म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परिचोजना यंत्री, संभाग क्र.-1 बधभद्रा रोड, भोपाल
 क्र./1380/लशा.प.प./2024 दिनांक : 14.11.2024

प्रेस विज्ञापित

इस कार्यालय द्वारा केजीबीबी महाराजगढ़ (डाइस कोड 234608 KGH01) जिला अशोकनगर विकासखण्ड मुगावली में 100 सीट केजीबीबी टाइप-III छात्रावास भवन का निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक 2024_MPPHC_382399 1 दिनांक 30.11.2024 समय अपरान्ह 17:00 बजे तक खरीदी जा सकती है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
 म.प्र. माध्यम/117395/2024 R-50280/2024 परिचोजना यंत्री

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOV. OF M.P.)
 3rd Floor, Vikas Bhawan, Anera Hills, Bhopal (M.P.)
 (GST No. 23AAATM80543ZC)

NOTICE INVITING TENDER No. 1207 (PM-JANMAN)

(Batch-IV, Year-2024-25)

No./14052/22/0-12/MPPRDA/2024 Bhopal, Dated 21.11.2024
 Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal <https://www.pmsgsy-tenders.gov.in>, as detailed below;

- **Name of Work** :- Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction.
- **SSR Applicable** :- SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority, effective from 01.01.2024 and amended upto issue date of NIT.

PM-JANMAN-Batch-IV

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Road	Total Length (In kms)	Total PAC (In Rs.)
1	Anuppur	3	8	28.75	206347000.00
2	Ashok Nagar	6	8	13.38	97170227.00
3	Balaghat	2	2	8.95	59419000.00
4	Chhindwara	4	9	38.60	267282000.00
5	Guna	7	10	13.51	87599000.00
6	Mandla	4	14	37.28	228799406.00
7	Shahdol	2	3	7.50	39254566.00
8	Shivpur	3	6	17.93	116020000.00
9	Sidhi	3	6	17.90	112793000.00
10	Singrauli	7	7	22.32	133484246.00
11	Vidisha	6	20	42.63	268427000.00

- Availability of Bid Documents and mode of submission:** The bid document is available online and should be submitted online in www.pmsgsy-tenders.gov.in. The bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
- Bid document may be purchased online from 28.11.2024 (17:30 hrs) and last date for online bid submission is 19.12.2024 (17:00 hrs).**
- Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (JUNE-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.**

M.P. Madhyam/117461/2024

CHIEF GENERAL MANAGER

(TENDER)

परी सूचक ऐप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. (भ.स) संभाग क्र. 1 सागर

फोन नं. : 07582-222296, ईमेल आई.डी. : eeepwsagar@nic.in

एनआईटी नं.- 09/2024-25 के डीडीयुक्त निविदा आमंत्रण सागर, दिनांक : 20.11.2024
 निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीवन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. फोरलेन से खेडवाबाग मार्ग का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित लं. 3.50 कि.मी. अनुमानित लागत 431.90 लाख।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (रु. में)	अमानत राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	रिषार्क
2024_PWDRB_383223_1	सागर	43190000	431900	15000	06 माह वर्षाकाल सहित	प्रथम आमंत्रण
क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. पथरिया जाट से सिरोजा पामाखोई फेरे लाइन मार्ग का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित लं. 3.50 कि.मी. का निर्माण कार्य अनुमानित लागत 451.12 लाख।						
2024_PWDRB_383225_1	सागर	45112000	451120	15000	06 माह वर्षाकाल सहित	प्रथम आमंत्रण
क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. लोक निर्माण विभाग उपसंभाग देवरी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित लं. 4.30 कि.मी. अनु. लागत 389.77 लाख।						
1. डोंगर सलैया से इम्हरियार मार्ग का निर्माण कार्य लं. 1.70 कि.मी. अनु. लागत 198.58 लाख।						
2. कोपर से डाकनपुरा मार्ग का निर्माण कार्य लं. 2.60 कि.मी. का निर्माण कार्य अनु. लागत 191.19 लाख।						
2024_PWDRB_383226_1	सागर	38977000	389770	15000	06 माह वर्षाकाल सहित	प्रथम आमंत्रण
		127279000				

- निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
- निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 21.11.2024 समय 10.00 से दिनांक 03.12.2024 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
- निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही देखे किये जायेंगे, पुश्क से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. (भ.स) संभाग क्र. 1 सागर

जी-19323/50285/2024

पीएम ई-ड्राइव योजना

स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में सराहनीय पहल

सरकार ऐसे समाधान तलाश रही है, जो न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करे, बल्कि लोगों को जीविकोपार्जन भी बेहतर बनाए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार ने 'प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव व्हीलर प्रोमोशन इन इलेक्ट्रिक व्हीलर एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे नागरिकों को सस्ता और पर्यावरण हितैषी परिवहन उपलब्ध हो सके।

योजना का उद्देश्य और महत्व

पीएम ई-ड्राइव योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल प्रदूषण में कमी होगी, बल्कि लोग ईंधन की बढ़ती कीमतों से भी राहत पा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और चार्जिंग की सुविधा भी आसानी से मिल सकेगी।

इन वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत सरकार ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत सरकार 1 हजार 679 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी ई-2 डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक टापीरिया वाहन), ई-3 डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक टापीरिया वाहन), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-बसें आदि वाहनों पर मिलेगी।

- **ई-2 डब्ल्यू** - योजना के तहत लगभग 27.79 लाख टापीरिया वाहनों को सहायता मिलेगी, जिससे आग लोगों को किफायती परिवहन साधन होगा।
- **ई-3 डब्ल्यू** - लगभग 3.16 लाख टापीरिया वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारियों और परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- **ई-बसें** - योजना के तहत 14 हजार 28


इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सहायता दी जाएगी, जिससे शहरों में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक स्वच्छ और सुलभ बनाया जा सकेगा। यह पहल देश में सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक-डीजल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत सरकार इंटरसिटी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी प्रोत्साहन देगी। ई-बसों की उपलब्धता बढ़ने से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि गांधी स्मृति से भी बढ़ोतरी होगी।

- **ई-एम्बुलेंस** - ई-एम्बुलेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में भी सहायक होगी। इस योजना के माध्यम से मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

- **ई-ट्रक** - भारत में ट्रक परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की आर्थिक आगमन भूमिका है। हालांकि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले ट्रक वायु प्रदूषण के लिए भी प्रमुख योगदानकर्ता माने जाते हैं। योजना के अंतर्गत ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिससे वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।

चार्जिंग स्टेशनों को मिलेगा बढ़ावा

योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ईवी उपयोगकर्ताओं की चार्जिंग संभंधित चिंताओं को दूर करना है, जिससे ईवी की स्वीकार्यता और उपयोग में तेजी लाई जा सके। इस योजना में ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इन चार्जिंग स्टेशनों का उद्देश्य



न केवल शहरों में, बल्कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर भी चार्जिंग की सुविधाओं को सुलभ बनाना है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा में चार्जिंग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना के तहत ई-4 डब्ल्यू (चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन) के लिए 22 हजार 100 फास्ट चार्जर, ई-2 बसों के लिए 1 हजार 800 फास्ट चार्जर, ई-3 डब्ल्यू और 3 डब्ल्यू (दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन) के लिए 48 हजार 400 फास्ट चार्जर लागू जाएंगे।

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ई-वाउचर सुविधा

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सरकार ने ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर का प्रावधान किया है, जिससे वे योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। यह प्रक्रिया न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सरल बनाती है, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है। यह पूरी प्रक्रिया निम्न तथ्य से होगी -

- **ई-वाउचर** - योजना के तहत ईवी की खरीद के समय खरीदार को योजना के पोर्टल पर आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। इस वाउचर का मुख्य उद्देश्य ईवी खरीदारों को सब्सिडी का सीधा लाभ प्रदान करना है।
- **ई-वाउचर जारी करने की प्रक्रिया** - ईवी खरीदते समय योजना के पोर्टल पर खरीदार का आधार प्रमाणन किया जाएगा। इसके बाद खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा।
- **ई-वाउचर का उपयोग** - ई-वाउचर पर खरीदार के हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे इलेक्ट्रिक वाहन के डीलर को दिया जाएगा। डीलर भी इस ई-वाउचर पर हस्ताक्षर करेगा और इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- **एसएमएस के माध्यम से पुष्टि** - जब

ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो प्रमाण के तौर पर दोनों के हस्ताक्षर युक्त ई-वाउचर एसएमएस पर भेजा जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ई-वाउचर के यह प्रक्रिया पारदर्शिता और डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी में आसानी होगी, बल्कि सरकार और वाहन निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा।

योजना के लाभ

- **पेट्रोल और डीजल की बचत** - पीएम ई-ड्राइव योजना से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की ख़ात में कमी आएगी। इससे न केवल सरकार के ईंधन आयात पर निर्भरता को कम होगा, बल्कि लोगों को भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से परिवहन लागत में भी कमी आएगी, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से फायदा होगा।
- **प्रदूषण में कमी** - इस योजना का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा। पेट्रोल और डीजल के उपयोग से निकलने वाला धुआं और कार्बन उत्सर्जन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल इन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करेगा, जिससे शहरों में प्रदूषण का स्तर घटेगा और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। स्वच्छ और हरित परिवहन का अपना साकार करने में यह योजना एक बड़ा कदम है।
- **लोगों के लिए बेहतर अवसर** - सरकार इस योजना के अंतर्गत न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करेगी है, बल्कि इनके चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करने पर ध्यान देगी। इससे लोग आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे और उन्हें चार्जिंग की सुविधा भी सुलभ होगी।
- **रोज़गार के नए अवसर** - इस योजना

के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और मॉटेन्स के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिससे देश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। यह युवाओं के लिए रोजगार की छिड़ से एक सुरक्षित अवसर है, जिससे वे इस उभरते क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकेंगे।

योजना पर खर्च होंगे 10 हजार 900 करोड़ रुपये

पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इन दो वर्षों के लिए 10 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय (एम्पचवार्ड) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास, उत्पादन और उनकी तकनीकी उन्नति में लगाया जाएगा। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशनों और अन्य आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी निवेश किया जाएगा।

हरित और स्वच्छ भविष्य की दिशा में बड़े कदम

पीएम ई-ड्राइव योजना एक क्रांतिकारी पहल है। यह मरीजों और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाएगी। एक ओर जहां लोगों को सस्ता और टिकाऊ परिवहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह योजना एक बड़ा कदम साबित होगी। योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी और पेट्रोल-डीजल की आधर निर्भरता को कम करेगी। इसके साथ ही यह योजना भारत को हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह पहल देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रतीक है, जहां सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को महत्व दिया गया है। आने वाले समय में पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक दुष्टि से इस योजना के सकारात्मक प्रभाव देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

- निशा च्यांगी (लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं और समासमयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं)

भगवान श्रीराम और पांडवों की जीत का आधार उनके जीवन मूल्य ही थे - मुख्यमंत्री

भोपाल, भारत का अतीत गौरवशाली रहा है और भारत प्राचीन काल से ही वैदिक स्तर पर उच्च शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा। कई देशों के विद्वानों, राजकुमारों ने वाशरिला, नालंदा जैसे भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन ऐतिहासिक रूप से हमें ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, जिसमें भारत में शिक्षा ग्रहण किए किसी व्यक्ति अथवा सत्तापीय से अन्य प्राचीन पर आक्रमण किया हो। यह तथ्य प्रमाण काल से चर्ची आ रही हमारी शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ जीवन मूल्यों और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होटल ताज में एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक के 17वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'उच्च शिक्षा का बर्दादात स्वर्ण और हमारे जीवन मूल्य'

विषय पर आयोजित यह सम्मेलन समासमयिक महत्व का है। अतीत से लेकर वर्तमान तक की कई घटनाएँ जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण की भिन्नता के परिणाम स्वरूप ही घटित हुई। भारतीय काल में रावण हो या महाभारत काल में कौरव, योग्यता और क्षमता में कोई भी कम नहीं था, लेकिन उनके जीवन मूल्य और नैतिक मूल्य उचित नहीं थे, इसी कारण उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलता और वे समाज में तथा इतिहास में सिंहरा नकारे गए। कर्म की योग्यता अदृश्य थी, लेकिन उनकी दुष्टि, प्रीतिभाव, जित और नकारात्मक भाव ने उन्हें पतन की ओर अग्रसर किया। इसी प्रकार के उदाहरण हमें सोने की लंका बनाने वाले रावण के भी प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के वैभव और सामर्थ्य होने के बाद भी वे कभी स्वीकारे नहीं गए और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही बनवासी श्रीराम ने उन्हें

पारस्त किया। अर्थात् यह नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों की ही विजय थी। **नई शिक्षा नीति के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं कई नवाचार** डॉ. यादव ने स्व-युद्ध युद्ध और इनराइल के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे आदर्शों और जीवन मूल्यों का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इन संघर्षों में भी शांति के लिए प्रयास करते दिखाई देते हैं। यह भारतीय जीवन मूल्यों के सामर्थ्य को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि '2020 से लागू नई शिक्षा नीति के माध्यम से पहले और सीधे नैतिक प्रक्रिया को अधिक लचीला, सरल और रूचिपूर्ण बनाते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न संकायों के विषयों के अध्ययन की सुविधा प्रदान की गई है। अध्ययन प्रक्रिया को आयु के बंधन से मुक्त करते हुए क्रेडिट प्रदान करने जैसे नवाचार भी प्रवेश में किए गए हैं।

चंबल नहर प्रणाली से मिलेगा मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी

मुरैना, चंबल नहर प्रणाली से मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिये प्रदेश के जल संसाधन एवं व्यावहारिक जिले के प्रशासकीय श्री तुलसीराम सिलावट लगातार प्रयासरत हैं। इस सिलसिले में उन्होंने राज्यस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री सुश्री सिंह रावत से डेलीटेशन पर चर्चा की। राज्यस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए श्री सिलावट को आश्चर्य किया है। उन्होंने कहा है कि चंबल नहर प्रणाली से पार्वती एक्वाडक्ट पर जल ही मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। ज्ञात हो चंबल नहर प्रणाली से चंबल नहर के रश्पोर, मुरैना व पिण्ड जिले की सिंचाई के लिये पानी मिलता है। व्यावहारिक जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि चंबल नहर प्रणाली से रश्पोर, मुरैना व पिण्ड जिले के अंतर्गत 3 लाख 62 हजार

100 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। उन्होंने बताया बौते दिनों मध्यप्रदेश-राजस्थान अंतरराज्यीय निबंधण मण्डल कोटा की 29वें तकनीकी समिति की बैठक में चंबल नहर नहर से मध्यप्रदेश की मांग के अनुसार पार्वती एक्वाडक्ट पर 3900 क्यूसेक पानी निरंतर उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ था। लेकिन मात्र 1800 से लेकर 2100 क्यूसेक पानी ही मध्यप्रदेश को दिया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने राज्यस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री से चर्चा की। चंबल नहर प्रणाली से चंबल नहर के जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि राज्यस्थान के जल संसाधन मंत्री ने पूरा पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन किया है। श्री सिलावट ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार अपने हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है और इसके लिये लगातार राजस्थान सरकार के संपर्क में है।



ऑस्ट्रेलिया दौर के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान
मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने ऑस्ट्रेलिया दौर पर खेती जाने वाली टीम मैचों की वन-डे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। यह सीरीज पांच दिसंबर से क्रिस्मैन में शुरू होगी। 16 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत को के हाथ में रहेगी। भारतीय टीम में रुचा पोषी की वापसी हुई, जबकि सलामी बल्लेबाज शोफाली को टीम में जगह नहीं मिली है। शोफाली काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। पिछले कई मैचों से शोफाली ने बड़ी पारी नहीं खेली थी। उन्होंने इस वर्ष छह वन-डे मैचों में महज 108 रन ही बनाए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेती जाने वाली टीम मैचों की वन-डे सीरीज का पहला मैच 5 दिसंबर को क्रिस्मैन में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच भी क्रिस्मैन में 8 दिसंबर को खेला जाएगा, वहीं तीसरा मैच 11 दिसंबर को पर्य में खेला जाएगा।

भारत ने चीन को हराकर जीता खिताब

राजगिर, भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरी बार एशियन महिला हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराया। भारतीय टीम के लिए निर्णायक गोल दीपिका ने किया।

गत चैम्पियन के तौर पर उतरी भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दमदार खेल दिखाया और खिताब बरकरार रखने में सफल रही। टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच नहीं हारने वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जापान को मात देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम को चीन की टीम से कड़ी टक्कर मिली। पहले दो क्वार्टर तक दोनों ही टीमों गोल करने में सफल नहीं हो सकीं। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिसका फायदा भारतीय टीम को तुलत मिला। तीसरे क्वार्टर के 31वें मिमट में भारत को सफलता मिली। 31वें मिमट में भारत को लालरमिसियामी ने पेनाल्टी कॉर्न दिलाया, लेकिन भारतीय ड्रेग फ्लिकर सटीक शॉट नहीं लगा सकीं। देव सलिल में ही थी और नजबती की टिक से फ्लिकरने होकर दीपिका के पास पहुंची। दीपिका ने इस अवसर का फायदा उठाया



- भारत और दक्षिण कोरिया ने 3-3 बार और जापान ने दो बार जीता है खिताब।
- भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरी बार जीती है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी।
- भारतीय महिला टीम ने वर्ष 2016 और 2023 में भी जीता था वह खिताब।
- भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने सभी मैच (7 मैच) जीते हैं।
- हॉकी इंडिया ने इस ऐतिहासिक विजय के बाद दीपिका को गोल्डन ग्लॉब की उपाधि दी।

और शानदार प्लिक से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। भारत के पास तीसरे क्वार्टर में अपनी बढ़त को दोबारा करने का एक और मौका था, लेकिन दीपिका पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल नहीं पाई। मैच में पिछड़ने के बाद चीन की स्ट्राइकर्स ने मुलतवा करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन भारतीय टीम की मजबूत रक्षापंक्ति को ये नहीं सकी। चौथे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हो सका और भारत ने 1-0 से मैच जीत लिया।

दीपिका ने टूर्नामेंट में किए 11 गोल
भारतीय टीम की युवा फॉरवर्ड खिलाड़ी दीपिका पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिखाई दीपिका ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दोगे। इनमें 4 गोल मैदानों थे, जबकि 6 गोल पेनाल्टी कॉर्न से किए। दीपिका ने एक गोल पेनाल्टी स्ट्रोक पर लगा है। दीपिका ने थाईलैंड के खिलाफ लगा मैच में 5 गोल किए हैं। दीपिका की तरह भारतीय टीम की अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को किया क्लीन स्वीप
होबार्ट, ऑलराउंडर मार्कस स्टोडिंस की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरी टी-20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टीम मैचों की टी-20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। मैच में टीस जितकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवरों में महज 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुक्रात भी खराब रही। सलामी बल्लेबाज म्यूथ शॉर्ट (2) और जैक फ्रेजर (18) जल्द आउट हो गए। इसके बाद स्टोडिंस ने 27 गेंदों में 5 चौके और 5 छके की मदद से 61 रन बनाए तथा अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई।

इटली ने जीता विलीजीन किंग कप
मलगाग, इटली ने महिलाओं का डेविड कप कहे जाने वाला प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विलीजीन किंग कप का खिताब जीत लिया है। इटली ने टूर्नामेंट के फाइनल में स्लोवाकिया को 2-0 से हराया। फाइनल के पहले एकल मुकाबले में इटली की लुसिया ब्रॉजेटी ने स्लोवाकिया की विक्टोरिया हुक्कोवो को 6-2, 6-4 से हराया। इसके बाद दूसरे एकल मुकाबले में इटली की बेरिन्गन पोलिनी ने चेका स्कोकोवा को आसान मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

एटीपी फाइनल्स

जैनिक सिनर ने पहली बार जीता खिताब

तुरिन, इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में विश्व के नंबर वन पुष्य टेनिस खिलाड़ी सिनर ने अमेरिका के डेनर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। अपने परेल्ड मैदान पर खेल रहे सिनर को स्थानीय दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिला। सिनर ने मैच में पूरे समय अपना दबदबा बनाए रखा। सिनर ने दोनों सेटों में एक-एक बार फ्रिट्ज की सर्विस ब्रेक की। दोनों सेटों में फ्रिट्ज ने सिनर को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन सिनर के शानदार खेल के सामने फ्रिट्ज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और दोनों सेट 6-4 की स्कोर बोर्ड के साथ गंवा बैठे। दोनों खिलाड़ियों का बीच इस वर्ष का यह तीसरा मुकाबला था और तीनों बार सिनर ने फ्रिट्ज को मात दी। इससे पहले सिनर ने यूएस ओपन के फाइनल में फ्रिट्ज को हराया था।



- सिनर एटीपी फाइनल्स का खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी हैं।
- इस टूर्नामेंट में पुष्य टेनिस के शीर्ष अठारह खिलाड़ी लेते हैं हिस्सा।
- सिनर ने इस वर्ष 70 मैच और 8 एटीपी खिताब जीते हैं, इनमें दो ग्रैंडस्लैम भी शामिल हैं।
- नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा सात बार और रोजर फेडरर ने छह बार जीता है एटीपी फाइनल्स खिताब।

आकिब जावेद बने पाकिस्तान के मुख्य कोच
काराची, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पूर्व गेंदबाज आकिब जावेद को सीमित ओवर प्रारूप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंतर्गत मुख्य कोच नियुक्त किया है। पीसीबी ने कहा कि आगले वर्ष खेती जाने वाली आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी तक आकिब वन-डे और ट्वेंटी-20 प्रारूप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का दायित्व संभालेंगे। आकिब ने पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट और 163 वन-डे मैच खेले हैं।

न्यूजीलैंड के गेंदबाज ब्रेसवेल पर लया प्रतिबंध
दुबई, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने गेंदबाज डग ब्रेसवेल पर एक महीने का प्रतिबंध लगाया है। बोर्ड ने बताया कि डग ब्रेसवेल को कोकीन से सेवन का दोषी पाया था। प्रतिबंध का विवरण न्यूजीलैंड स्पॉट इंटिग्रेटीड कमिशन ने दिया। कमिशन ने बताया कि न्यूजीलैंड के जनवरी 2024 में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और वेंडिंगटन के बीच खेले गए धौलू ट्वेंटी-20 मैच के बाद जांच में कोकीन सेवन का दोषी पाया गया था।

हार्दिक पंड्या फिर बने ट्वेंटी-20 क्रिकेट के नंबर वन ऑलराउंडर

दुबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने नवीनतम ट्वेंटी-20 क्रिकेट रैंकिंग जारी की है। आईसीसी ट्वेंटी-20 रैंकिंग में भारत के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पंड्या एक बार फिर नंबर वन ऑलराउंडर बन गए हैं। पंड्या ने ट्वेंटी-20 ऑलराउंडर रैंकिंग में इंग्लैंड के लियाम तिविगहटन को पीछे छोड़ दिया है। पंड्या ने इस महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेती गई टीम मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। पंड्या दूसरी

बार आईसीसी ट्वेंटी-20 रैंकिंग में नंबर वन ऑलराउंडर बने हैं। इससे पहले वह इस वर्ष की शुरुआत में भी ट्वेंटी-20 रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंचे थे। आईसीसी ट्वेंटी-20 बल्लेबाज रैंकिंग में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। तिलक बल्लेबाज रैंकिंग में 69 स्थान की छलांग लगाकर 72वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वह तीसरे स्थान पर थे। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान सुर्देकुमार यादव चौथे और यशस्वी जायसवाल आठवें पायदान पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौर से बेहतर बल्लेबाज बनकर लौटेंगे यशस्वी
मुंबई, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान रवि शास्त्री ने कहा कि भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौर युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के लिए गेमचेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यशस्वी इस दौर से एक बेहतर बल्लेबाज बनकर लौटेंगे। रवि शास्त्री ने कहा कि अगर यशस्वी पर्य की कुलीतीपूर्ण पिच पर रन बना लेते हैं, तो सीरीज का शीर्ष मैचों में सहजता से खेल सकेंगे। उन्होंने कहा कि पर्य की पिच में काफी उछाल है, हिताबा यहां खेलेना आसान नहीं है। उन्होंने कहा यशस्वी जायसवाल एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं, वह परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल सकते हैं।

राफेल नडाल ने टेनिस से लिया संन्यास
मलगाग, टेनिस के महान खिलाड़ियों में शामिल राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। क्ले कोर्ट के बादशाह कहे जाने वाले नडाल ने अपने टेनिस कैरियर का आखिरी मैच डेविड कप क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला। डेविड कप क्वार्टर फाइनल में पहले एकल मुकाबले में नीदरलैंड्स के सोफि सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। इस बार के साथ स्पेन डेविड कप से बाहर हो गया और नडाल का टेनिस कैरियर भी समाप्त हो गया। नडाल टेनिस में दूसरे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम (22) खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं। (स्रोत: संघाकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो: गूगल से साभार)

मनु, नीरज, हरमनप्रीत और स्मृति को मिला भारतीय खेल सम्मान

मुंबई, ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों सहित अन्य प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए खेल मंत्रालय ने शीर्ष खिलाड़ियों को भारतीय खेल सम्मान (आईएसएसए) पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुंबई में आयोजित भारतीय खेल सम्मान के पांचवें संस्करण में मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत सिंह और स्मृति मंधाना को उनके उज्ज्वल योगदान के लिए सम्मानित किया गया।



इस वर्ष पेरिस ओलंपिक में भालाफेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था नीरज एथेलेटिक्स में लगातार दो बार ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। मनु बनी स्पॉट्स यूबैन ऑफ द ईयर पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मनु भाकर को समारोह में स्पॉट्स यूबैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनु ने पेरिस ओलंपिक की

निशानेबाजी स्पर्धा में भालाफेंक पदक दिलाए हैं। मनु ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, इन्हें अलावा मनु ने 10 मीटर रिफ्लेक्ट मिश्रित स्पर्धा में सखजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं।

हरमनप्रीत और स्मृति हुए पुरस्कृत समारोह में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ी स्मृति मंधाना को भी सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत सिंह को टीम स्पॉट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया। हरमनप्रीत सिंह पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इस वर्ष ओलंपिक सहित कई खेल प्रतियोगिताओं में हरमनप्रीत सिंह का प्रदर्शन शानदार रहा है। वहीं इस वर्ष स्मृति मंधाना का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा। महिला प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बेंगलूर ने शानदार प्रदर्शन किया है।



सामयिकी

भारत और ब्रिटेन अगले वर्ष फिर शुरू करेंगे एफटीए पर वार्ता

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर फिर से वार्ता शुरू होगी। इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच जी-20 सम्मेलन से अलग हुई एक बैठक में सहमति बनी। दोनों के बीच हुई बैठक के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष एफटीए पर भारत-ब्रिटेन के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा। दोनों नेताओं के बीच यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी, बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में आर्थिक अपराध करके ब्रिटेन में पनाह लेने वाले विजय माल्या जैसे नीच मोदी के प्रवर्णन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों को सुलझाया जाना जरूरी है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द करार का दौरा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौर पर आंगे। क्रैमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कॉव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉस्को में राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। वर्ष 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। पुतिन ने इससे पहले 6 दिसम्बर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था।

अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने में ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह देश से अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेंगे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने पहली बार अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की योजना को सार्वजनिक किया है। लाखों की संख्या में अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल लागाने पर राष्ट्रपति को असीमित अधिकार मिल जाते हैं।

भारत ने रक्षा इतिहास - हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने आवाज से पांच गुना तेज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके इतिहास रच दिया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों के उन्नत चरण वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी ही प्रणाली विकसित कर रहे हैं। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने उड्डाण भागीदारी से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकती है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ओडिशा के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत उन चुनिंदी देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके



- यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से पांच गुना (5 मैक) अधिक गति से करती है प्रहार।
- मिसाइल की न्यूनतम गति 6174 किलोमीटर प्रतिघंटा है। यह क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से है।
- यह अलग-अलग पेटोड ले जाने में सक्षम और किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम देने में है सक्षम।
- यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मिला नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नाइजीरिया की यात्रा के दौरान नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान 'ए व्रीड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' से सम्मानित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला प्रेमचंद टीनूबू ने यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रतीक स्वरूप अबुजा शहर की चाबी भेंट की गई। यह चाबी नाइजीरियाई लोगों की ओर से भारत

के प्रधानमंत्री को दिए गए सम्मान का और विश्वास का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले दुनिया की दूसरी हस्ती हैं। उन्हें पहले ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को वर्ष 1969 में 'ए व्रीड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' सम्मान से नवाजा गया था। उल्लेखनीय है कि 17 वर्षों में नाइजीरिया की यात्रा करने वाले श्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण सत्रों को किया संबोधित

भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में से 200 गीगावाट को प्राप्त किया



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान समूह ने वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना और ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने सतत विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के

लिए ब्राजील के निर्णय का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले दस वर्षों में 40 मिलियन परिवारों को आवस, पिछले पांच वर्षों में 120 मिलियन परिवारों को स्वच्छ पेयजल, 100 मिलियन परिवारों को स्वच्छ ईंधन और 115 मिलियन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई है।

वैश्विक विकास समझौते का समर्थन

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला जी-20 देश था, उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें से 200 गीगावाट हासिल किया जा चुका है। उन्होंने भारत द्वारा उठाए गए वैश्विक कदमों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदारोपी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, मिशन लाइफ, एक सूर्य 'एक दुनिया' एक ग्लोब और एक स्वस्थी प्लेनेट को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने स्लोबल साउथ, विशेषकर छोटे द्वीप विकासशील राज्यों की सतत विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए जी-20 से तीसरे वीयस और द स्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा घोषित वैश्विक विकास समझौते का समर्थन करने का आग्रह किया।

800 मिलियन लोगों को मुक्त खाद्यान्न वितरित किया

प्रधानमंत्री ने 'सामाजिक समावेश तथा भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई' विषय पर हुए सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता का 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का आह्वान रियो में हुई बातचीत में भी गुंस्ता रहा है। भूख और गरीबी से निपटने की भारत की पहल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले दस वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और देश में 800 मिलियन लोगों को मुक्त खाद्यान्न वितरित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा से निपटने में भारत की सफलता के बारे में कहा कि 'मूलभूत कार्य पर वापस आना और भविष्य की ओर आगे बढ़ना' पर आधारित दृष्टिकोण परिणाम दे रहा है। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में बताया।

जैसे-एन-2 उपग्रह लॉन्च



अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फॉल्कलैंड 9 रॉकेट से भारत के संचार उपग्रह जैसे-एन-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया है। कक्षा में स्थापित होने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी

स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च हुआ इसरो का संचार उपग्रह

ने इसका नियंत्रण संभाल लिया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने बताया कि जैसे-एन-2 हाई थ्रूपुट (एचटीएस) संचार उपग्रह को अमेरिका के केप केनवैल से सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया। उपग्रह को वांछित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि उपग्रह अच्छी स्थिति में है। एनएसआईएल ने बताया कि भारत का अपना शक्तिशाली रॉकेट मार्क-3 अधिकतम 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, जबकि जीसीटी-

- इसरो ने पहली बार अमेरिकी प्राइवेट कंपनी की मदद से उपग्रह किया है लॉन्च।
 - इस उपग्रह का जीवनकाल लगभग 14 वर्ष का है।
 - जीसीटी-एन-2 से देश में ब्रॉडबैंड सेवा और बेहतर होगा।
- एन-2 का वजन 4700 किलोग्राम है। इसीलिए इस उपग्रह को विदेशी वाणिज्यिक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। जीसीटी-एन-2 एनएसआईएल का दूसरा मांग आधारित संचार उपग्रह है, जो पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और विमानों की उड़ानों में संपर्क सुविधा को बेहतर बनाएगा।

श्रीलंका में राष्ट्रपति दिसानायके के गठबंधन को मिली जीत

श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है। दिसानायके के नेतृत्व वाले गठबंधन एनपीसी ने 225 संसदीय सीटों में से 159 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं विपक्षी नेता प्रेमदासा की पार्टी 40 सीटों ही जीत सकी।

यह श्रीलंका के संसदीय चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत में से एक है। चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति महिदा राजपक्षे की श्रीलंका पौदुवना पेरामुना पार्टी को महज तीन सीटें मिलीं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया था।



यूक्रेन ने नॉर्वे के साथ किया रक्षा सहयोग समझौता

यूक्रेन और नॉर्वे ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद एजेंसी और नॉर्वेजियन डिफेंस मटेरियल एजेंसी के बीच समझौते से दोनों देशों के बीच हथियारों के बाजार, अनुसंधान और सैन्य प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के सैन्य विभागों को प्रशिक्षित करने के लिए नॉर्वे की मदद से कीव और ओलेखो में कार्य समूह पहले से ही काम कर रहे हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)